क्लाइमेट पंचायत

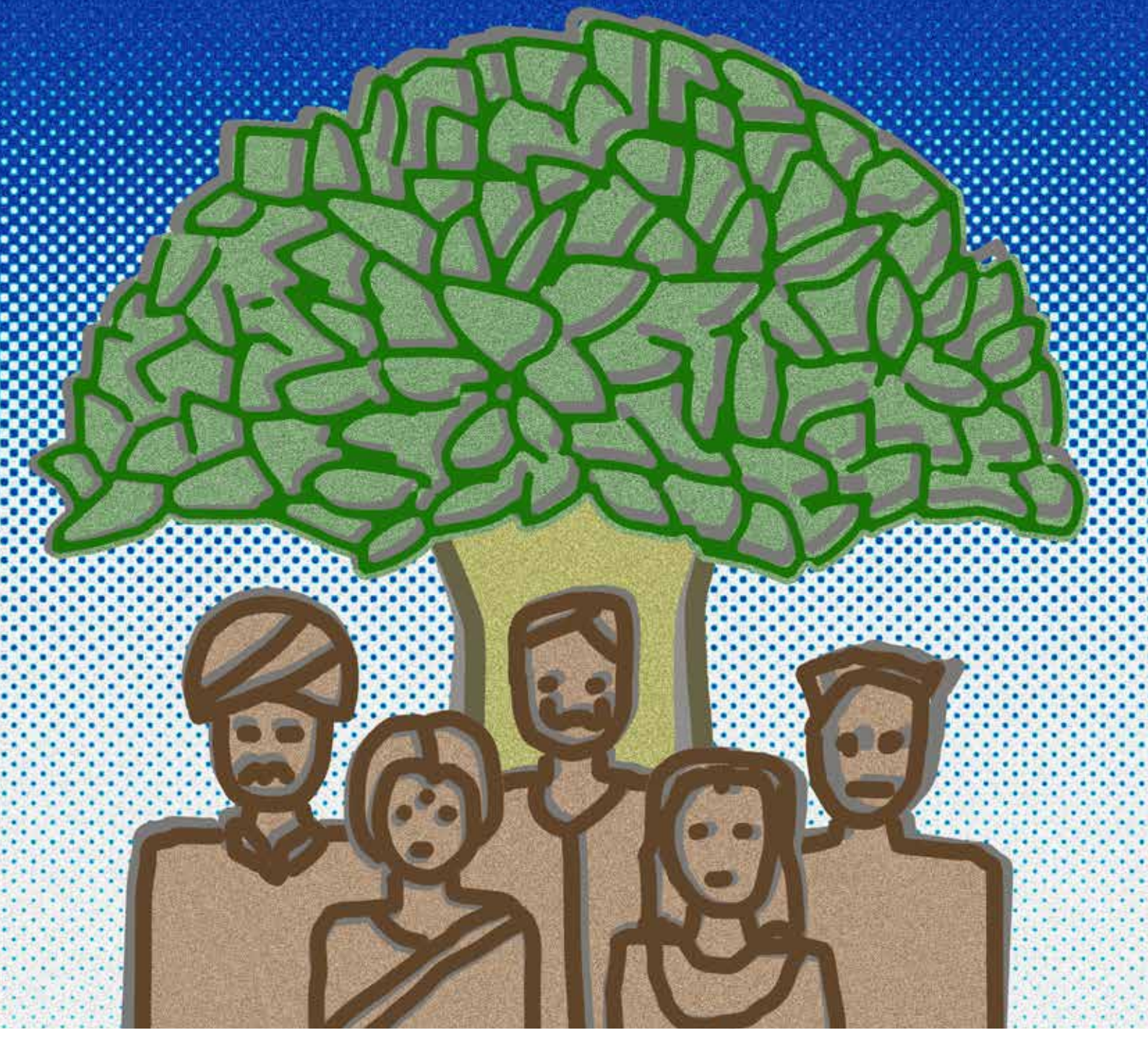

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश सरकार

क्लाइमेट पंचायत

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

जलवायु सक्षम अभियान
प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रकाशन
जलवायु पंचायत

द्वारा प्रकाशित
उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण (यू.पी.सी.सी.ए.) और पर्यावरण निदेशालय (डी.ओ.ई.),
उत्तर प्रदेश सरकार
ई-मेल :upcca.doe@gmail.com,doeuplko@yahoo.com

©2022 यू.पी.सी.सी.ए. और डी.ओ.ई., उत्तर प्रदेश सरकार

तकनीकी सहायता
जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नई दिल्ली (जी.आई.जेड.)
भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग परियोजना, "ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन एवं वित्त" (सी.ए.एफ.आर.आई.)

संपादक
श्री आशीष तिवारी, आई.एफ.एस.
सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री कीर्तिमान अवस्थी, वरिष्ठ नीति सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया

तकनीकी इनपुट
श्री मानस द्विवेदी, जलवायु परिवर्तन सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया
सुश्री सौम्या भट्ट, जलवायु परिवर्तन सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया
डॉ. रोहित शर्मा, कनिष्ठ जलवायु परिवर्तन सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया

संपादकीय डिजाइन
डैमेजकंट्रोल

प्रिंटर

मुखबंध

बात 2021 की है, जब हमने एक 'क्लाइमेट कॉन्क्लेव' का आयोजन किया था। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जलवायु कार्य योजना की एक रूपरेखा बनाने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के लोगों साथ विचार-विमर्श करना था। इस रूपरेखा को तैयार करने के दौरान यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई कि प्रशासन को पंचायत के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

लिहाजा, 2022 में हमने पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत' आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पंचायत स्तर के नेताओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की क्षमता पैदा करना था।

राज्य में पानी की उपलब्धता और कृषि की दृष्टि से जलवायु में धीमी गति से होने वाला परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, उस स्थिति में जब यह राज्य कई इको – रीजन में बंटा है। इस परिवर्तन से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पंचायतों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी ग्रामीण विकास योजनाएं जलवायु के अनुकूल हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर लगातार काम करेगा। अनुकूलन के लिए संसाधन जुटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

हमें मौसम की विषम परिस्थितियों का भी सामना करना होगा। हमारे लिए आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों और विशेषज्ञों के भी साथ मिलकर काम करना अहम है। पूर्व चेतावनी की एक सुदृढ़ प्रणाली बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकती है।

अब जबकि हम अपनी जलवायु गतिविधियों का स्थानीयकरण कर रहे हैं, हमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े बड़े वैश्विक समुदाय के साथ संवाद के विकल्प को खुला रखना होगा। इससे हमारी जानकारी को अद्यतन रखना सुनिश्चित हो सकेगा। तकनीकी क्षमता के साथ-साथ वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संगठनों के साथ काम करना भी जरूरी है।

हमने अनुकूलन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की पहचान करने और उसका बजट निर्धारित करने की एक व्यापक कवायद की है। हम चाहते हैं कि बाकी रह जाने वाली कमी को आंशिक रूप से उन निजी उद्यमों द्वारा भरा जाए जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत धन खर्च करते हैं या फिर, जलवायु अनुकूलन के लिए पंचायतों के साथ साझेदारी की जाए।

भविष्य की चर्चा के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं संदर्भ के रूप में 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत' में हुए विचार - विमर्श की एक झलक प्रस्तुत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है।

मनोज सिंह

अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन पर विचार-विमर्श करने के लिए हर साल यूएनएफसीसीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज [सीओपी] से हम सभी अवगत हैं। यह सम्मेलन दुनिया के सभी देशों के बीच होता है। हर साल, इस बैठक के नतीजे हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन से बचने के संभावित उपायों के बारे में बताते हैं। लेकिन ये सभी बड़े उपाय होते हैं, कभी-कभी सैद्धांतिक और ज्यादातर मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। मगर उन उपायों को धरातल पर उतारने हेतु क्लाइमेट एक्शन के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

अगर हम उत्तर प्रदेश की वास्तविकताओं के संदर्भ में कहें, तो यह लगभग 24 करोड़ लोगों की बात है, जो भारत की कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 77% ग्रामीण आबादी है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, और वे अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और अन्य प्रकृति-आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने इस बड़ी आबादी के अस्तित्व को बचाए रखने में मदद करना एक चुनौती है, जिनकी आजीविका जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुई है। सैद्धांतिक रूप से, जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के प्रयासों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करना बेहद आवश्यक है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के साथ काम करना है और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमीनी स्तर पर क्लाइमेट एक्शन के लिए 58 हजार पंचायतों को जोड़कर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का आयोजन किया था। उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत में ग्राम पंचायतों को सबसे पहले जागरुक करने का प्रयास किया गया, क्योंकि प्रभावी अनुकूलन योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वन के लिए पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होना आवश्यक है। उसके अलावा ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अच्छे काम हुए हैं उनसे उनको अवगत कराया गया। साथ ही साथ, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन के क्रियान्वयन करने के तौर-तरीकों और उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के बारे में भी चर्चा हुई।

क्लाइमेट एक्शन को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यह किसी राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला अपने तरह का एक अभिनव प्रयोग है। यह पुस्तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत में राज्य सरकार की इस तरह की गतिविधियों के बारे में हुई चर्चा की एक झलक है। हमें आशा है कि यह पुस्तक उत्तर प्रदेश में जलवायु के अनुकूल ग्रामीण विकास के बारे में एक बुनियादी जानकारी प्रदान करेगी और अन्य राज्य सरकारों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।

आशीष तिवारी

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

सूची

1 जलवायु परिवर्तन एवं ग्रामीण प्रतिक्रिया 1

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश • **गिरिराज सिंह :** मंत्री, पंचायती राज, भारत सरकार • **दुर्गा शंकर मिश्रा,** मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार • **मनोज सिंह,** अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश • **आशीष तिवारी,** सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश • **जूली रिवीएरे,** राष्ट्रीय निदेशक, जी आइ जेड

2 पंचायत स्तर पर वित्तीय संसाधन 11

ममता संजीव दूबे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश• **आलोक प्रेम नागर,** संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार • • **प्रो. अनिल कुमार गुप्ता,** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली • **रणवीर प्रसाद,** राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश • **अनुज कुमार झा,** निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश सरकार • **बी प्रभाकर,** सदस्य सचिव, यू पी बायोडायवर्सिटी बोर्ड • **गोपाल उपाध्याय,** सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ • **शिराज वजीह,** गोरखपुर एनवायरोंमेंटल एक्शन ग्रुप, उत्तर प्रदेश • **रुचिका ड्राल,** उप सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार • **कोरिंन डिमेंज,** स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट

3 पंचायत-प्राइवेट पार्टनरशिप 23

बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश • **शुभेंदु दास,** प्रोग्राम मैनेजर, आईटीसी लिमिटेड • **रामवीर तंवर,** पौंड मैन ऑफ इंडिया • **शांतनु बसु,** प्रोजेक्ट मैनेजर, एचसीएल फाउंडेशन • **अनिर्बान घोष,** चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, महिंद्रा ग्रुप • **ए. वी. सिंह,** चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, ललितपुर पावर जनरेशन • **सुनील कुमार,** प्लांट हेड, हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड • **राजेंद्र सांखे,** यूनिट हेड, इंडो रामा इंडिया प्रा. लिमिटेड

4 वैश्विक समस्या, स्थानीय साधन 35

कीर्तिमान अवस्थी, वरिष्ठ नीति सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया • **मोहम्मद अल-ख़वाद,** जीआईजेड • **कैरिन शेपर्डशन,** विश्व बैंक • **जोनाथन डेमेंगे,** निर्देशक, सहयोगिता, एस डी सी इंडिया

5 क्लाइमेट हीरो 43

पद्मश्री श्यामसुन्दर पालीवाल, समाज सेवक • पीपलांतरी, राजस्थान • **प्रेमशीला,** किसान • जंगल कौड़िया, गौरखपुर • **रणधीर,** पंचायत प्रधान • पल्लीग्राम, जम्मू • **पद्मश्री सेतपाल सिंह,** प्राकृतिक किसान • सहारनपुर, उत्तर प्रदेश • **बलदेव ठाकुर,** धमून पंचायत • हिमाचल प्रदेश

6 'जलवायु मित्र' ग्राम पंचायत 49

1

जलवायु परिवर्तन एवं ग्रामीण प्रतिक्रिया

पंचायत स्तर से ही जलवायु परिवर्तन का मुकाबला

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

एक अच्छा पर्यावरण ही सृष्टि के सुखद और प्रसन्नचित जीवन की आधारशिला बन सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों से बचाव के लिए पंचायतों की भूमिका के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायत हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है। ग्राम पंचायत के मजबूत होने से ही बहुत सारी परेशानियां स्वयं दूर हो जाएंगी। अगर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बने लेकिन इन योजनाओं का आधारभूत इकाई पंचायत ही इससे अनभिज्ञ रहे, तो उन योजनाओं का सुखद परिणाम सामने नहीं आ सकता है।

देश में सबसे अधिक ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है। यहां 58 हजार 189 ग्राम पंचायत है जहां की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में भी पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि हर वनस्पति औषधीय गुण से युक्त होती है। लेकिन भौतिकता के पीछे जाने वाली आधुनिक मानव जाति खुद ही अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। असमय अतिवृष्टि होना एवं सूखा पड़ जाना, फसल चक्र पर विपरीत असर पड़ना व स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी समस्याएं जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 100 करोड़ वृक्ष लगाएं हैं, अब सरकार की प्राथमिकता उन वृक्षों को बचाना है। दूसरा, राज्य सरकार ने स्थानीय और अपने परम्परागत वृक्षों को बचाने के लिए 'विरासत वृक्ष' अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें और अधिक तेजी लाने की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर किसानों, खासकर छोटे किसानों पर पड़ता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो बजट, जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर और जीरो पेस्टिसाइड से युक्त खेती को बढ़ावा दे रही है।

बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती शुरु करने के साथ-साथ सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है और हर मंडल में गुणवत्ता जानने के लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हो चुकी है।

पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत में आबादी से हटकर गड्ढा खोदकर गांव से निकलने वाले सभी गीले कचड़े को गड्ढे में डालने का आदेश दिया था जिससे कि साल भर के बाद तैयार कम्पोस्ट को गांव के अपने खेत में इस्तेमाल करे और बचे हुए की पैकेजिंग करके उसे बाजार में बेचा जा सके। इसी तरह हर गांव को स्थानीय व परंपरागत पेड़-पौधों का नर्सरी बनाने का सुझाव दिया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो बजट, जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर और जीरो पेस्टिसाइड से युक्त खेती को बढ़ावा दे रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने की जरूरत है। इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

अगर इस कार्यवाही को "मेरा गांव, मेरी धरोहर" के रूप में जोड़ा जाएगा तो जलवायु परिवर्तन के ढेर सारे मानव निर्मित कारणों को नियंत्रित करने में सफलता मिल सकती है। जिससे प्राकृतिक दुष्परिणाम भी धीरे-धीरे कम हो सकता है।

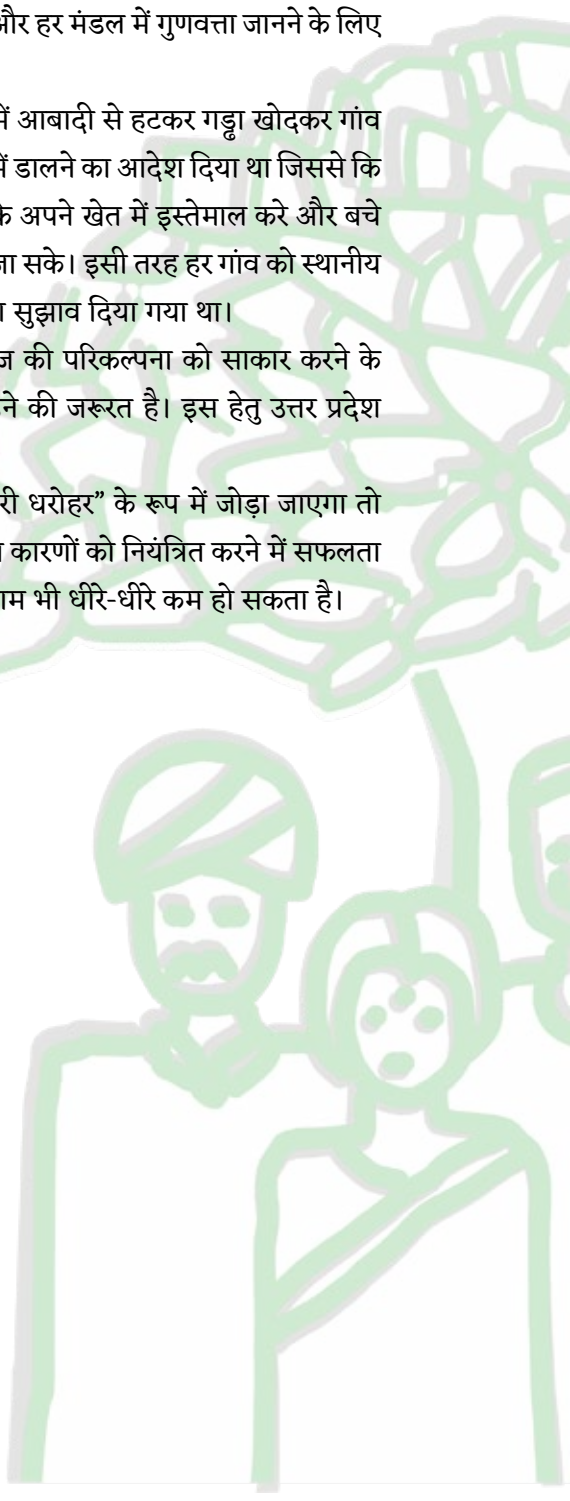

प्रकृति को बचाने से ही विनाश रुकेगा

गिरिराज सिंह
मंत्री, पंचायती राज, भारत सरकार

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी लोगों की सहभागिता की जरूरत है। सवाल उठता है कि आज इस पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान ने प्रकृति पर कब्जा करके उसका दोहन किया है। जिस तरह हर व्यक्ति का बजट होता है, उनका अपना बैंक खाता होता है, उसी तरह इस धरती का, प्रकृति का, जलवायु का भी एक बजट है। अगर हम प्राकृतिक संसाधन का इसी तरह दोहन करते रहे तो निकट भविष्य अपने विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

वर्ष 2022 में भारत की क्षमता चार लाख मेगावाट बिजली की है और उसमें से दो लाख 36 हजार मेगावाट बिजली का निर्माण केवल थर्मल पावर से हो रहा है। वर्ष 2022 के मार्च में औसतन अधिक तापमान 33.1 डिग्री रहा जिसने 122 साल के सबसे गर्म महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कई द्वीप काल के गाल में समा जाएंगे। पश्चिम बंगाल सहित अन्य तटीय प्रदेशों की स्थिति बड़ी ही भयावह हो जाएगी। इसका असर खेती पर भी पड़ेगा। दुनिया में हर जगह बाढ़ और सूखा पड़ रहा है। जैसे-जैसे औसत तापमान बढ़ता जाएगा इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पर्यावरण का सबसे अधिक नुकसान विकसित राष्ट्रों ने किया है, लेकिन छोटे-छोटे देशों को इसकी सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। सन 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को हमने 500 गीगावाट तक ले जाने के लक्ष्य रखा है। यह केवल लक्ष्य भर नहीं है बल्कि उसके बनाने वाले उपकरण पर सरकार 'प्रोडक्शन-लिंक्ड' इन्सेंटिव भी दे रही है। सरकार चाहती है कि 2030 तक भारत 65 फीसदी

अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने लगे। देश की 70 फीसदी आबादी गांव में रहती है। राजस्थान के एक भाई ने तो अद्भुत इतिहास लिख दिया। यही काम जम्मू-कश्मीर के पल्लीग्राम के प्रधान ने किया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की एक पंचायत ओडनथुरई के प्रधान ने पूरे गांव में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से ऋण लेकर अक्षय ऊर्जा लगवाया। आज वह पूरी पंचायत सस्टेनेबल एनर्जी पंचायत हो गयी है। ओडनथुरई पंचायत को भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए कर्ज देने वाले बैंक मैनेजर को भी सम्मानित किया।

प्राकृतिक और जैविक खेती का सकारात्मक प्रभाव इकोलॉजीकल सिस्टम पर पड़ता है। इसके लिए भारत सरकार ने न केवल पंचामृत संकल्प लिया है, बल्कि इंटरनेशनल सोलर अलायन्स के साथ मिलकर भी काम कर रही है और प्रतिरोधी बुनियादी खाके के कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया है।

भारत यूनाइटेड नेशंस के दीर्घकालिक गोल (सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट) के लक्ष्य को हासिल करके के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए एक्शन प्लान बनाकर उसमें गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, पर्याप्त जल वाले गांव को भी लिया है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे।

देश में लगभग ढाई लाख पंचायत है। भारत सरकार हर वर्ष पंचायतों को सम्मानित करती है। अब उसके कई मापदंड होंगे, लेकिन पहला पुरस्कार उसी पंचायत को मिलेगा जो कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम रखेगा।

विभिन्न तरह की आर्थिक गतिविधियों के चलते कार्बन उत्सर्जन बढ रहा है।प्रति व्यक्ति हर वर्ष लगभग 400 किलोग्राम कार्बन डायक्साइड उत्सर्जन करता है। हमारे यहां सहजन का एक पेड़ होता है जो खाने में भी काम आता है और कार्बन को भी अवशोषित करता है। सहजन का एक पौधा प्रतिवर्ष 80 किलोग्राम कार्बन अवशोषित करता है। मनरेगा में इस पौधे को लगाने के लिए कहा गया है, साथ ही यह आंगनवाड़ी केंद्र में भी इसे लगाने की बात कही गयी है जो बच्चों को कुपोषण से मुक्ति भी दिलाएगा और कार्बन उत्सर्जन को भी रोकेगा।

जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पंचायती राज, पर्यावरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे ग्रामीण भारत को पर्यावरण, खाद्यान्न, औषधि के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

इंसान ने प्रकृति पर कब्जा करके उसका दोहन किया है। जिस तरह हर व्यक्ति का बजट होता है, उनका अपना बैंक खाता होता है, उसी तरह इस धरती का, प्रकृति का, जलवायु का भी एक बजट है। अगर हम प्राकृतिक संसाधन का इसी तरह दोहण करते रहे तो निकट भविष्य अपने विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

पर्यावरण की रक्षा स्वयं की सुरक्षा

दुर्गा शंकर मिश्रा
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण पर हमारा जीवन निर्भर है। खेती, किसानी, उपज सब कुछ पर्यावरण पर निर्भर करता है और अगर हम यह सोचते हैं कि पर्यावरण को नुकसान करने से हमें फर्क नहीं पड़ता है तो यह गलत है। आपको लगता है कि गेहूं की बाली लहलहा रही थी, लेकिन गेहूं का आकार, उसका दाना, छोटा कैसे पड़ गया है? इस बात को किसान भाईयों से ज्यादा और कौन जानता है? इसलिए पर्यावरण को दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिये, अपने बच्चों के लिये, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है। हमें सीखना होगा कि पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं?

इससे बचने के लिए कम से कम अवशिष्ट पैदा करें और जो अवशिष्ट पैदा करें उसे खाद में बदलें। आज हर गांव में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है। अब खुले में लोग शौच नहीं कर रहे हैं। खुले में शौच बंद होने और स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत गंदा पानी ट्रीट होकर अब गंदा पानी नहीं रह जाएगा। जल को सुरक्षित करना होगा। गांव में कई सारे तालाब हैं और हम संकल्प लेकर अपने गांव में अमृत सरोवर बनाएं। अगर हर पंचायतों में ऐसे दो-दो, तीन-तीन अमृत सरोवर बनाए जाएं तो हमारे प्रदेश में 1,00,000 अमृत सरोवर बनेंगे। इससे न केवल जल का संरक्षण होगा बल्कि पक्षियों को, पौधों को, जानवरों को और हम सबको पानी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। यदि हर इंसान एक पेड़ लगा दे तो 25 करोड़ पेड़ होता है। अगर दो पेड़ लगा दे तो 50 करोड़ और चार पेड़ लगा दे तो 100 करोड़ पेड़ एक साल में लग सकता है। मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है तो एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा लगा दीजिए, कोई भी पौधा लगा दीजिये, कोई भी पेड़ लगा दीजिये। हर मानव प्रकृति को संरक्षित करने में अपना योगदान दे रहा है।

हम पेड़ इसलिए लगाएं क्योंकि हर पेड़ हमारे लिये, प्रकृति के लिए आवश्यक है। इससे जल भी होगा, इससे पेड़ भी होगा और इससे सफाई भी होगी। इससे हम अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपनी भावी पीढ़ी को बचा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। अगर हर इंसान बस एक पेड़ लगा दे तो 25 करोड़ पेड़ हो जाएगा। अगर वह दो पेड़ लगाए तो 50 करोड़ और चार पेड़ लगा दे तो बस साल भर में हमारे राज्य में 100 करोड़ पेड़ लग सकता है।

रचनात्मक संसाधन जरुरी है

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

अगर हम अपने राज्य में हाल के दिनों की वास्तविकताओं को देखें, तो हमने पिछले साल फरवरी और मार्च के आसपास भीषण गर्मी देखी थी। इस गर्मी की लहर ने अनाज के उत्पादन को प्रभावित किया था जिसके परिणामस्वरूप हमारे किसानों की उत्पादकता और आय में जबरदस्त गिरावट आई। राज्य का पूर्वी हिस्सा विनाशकारी बाढ़ का गवाह बना, जिसके कारण वहां भी फसलों को नुकसान हुआ। हमारा मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की आय सुनिश्चित करना है। उन्हें बचाने का एक तरीका यह है कि किसानों की एक निश्चित तादाद को नए कौशल प्रदान करके कृषि से दूसरी आजीविका की ओर स्थानांतरित किया जाए।

हम किसानों को खेत की मेड़ों पर कृषि वानिकी अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उन्हें दोगुनी आय प्राप्त हो सके। हम कार्बन के जैविक पृथक्करण के लिए कृषिवानिकी को कार्बन क्रेडिट से भी जोड़ रहे हैं, जिससे उनकी आय तिगुनी हो जाएगी।

लेकिन बड़े स्तर पर संसाधन वित्त विभाग के माध्यम से हमारे अपने विभिन्न विभागों से आना है। हमने विभिन्न विभागों के बजट में हरित घटकों को चिह्नित करने के तरीके और साधन खोजे हैं। हमने एक व्यापक कवायद की है, जिसमें हमने प्रत्येक योजना को सूचीबद्ध किया है और उन योजनाओं में निहित जलवायु परिवर्तन के घटकों का विश्लेषण किया है। अगर हम जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन के लिए अगले पांच वर्षों की हमारी संसाधन संबंधी जरूरतों को देखें, तो हमारे पास लगभग 80 प्रतिशत धन उपलब्ध है। बाकी हिस्से को जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार या अंतरराष्ट्रीय वित्त जैसे अन्य स्रोतों से आने की जरूरत है।

यहां भी हमने रचनात्मकता दिखाई है। हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए व्यापक स्तर पर पंचायत-प्राइवेट भागीदारी चाहते हैं। इस राज्य में काम करने वाले निजी उद्यमी अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए या अन्यथा पैसा खर्च करते हैं। हम चाहते हैं कि यह खर्च पंचायत के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाए ताकि परियोजना को इस तरह से जोड़ा जा सके जिससे स्थानीय आबादी को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिले। यदि यह साझेदारी सफल होती है तो पंचायत और प्राइवेट उद्यमी के संयुक्त व्यय से भी कुछ कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

हमने एक व्यापक कवायद की है, जिसमें हमने प्रत्येक योजना को सूचीबद्ध किया है और उन योजनाओं में निहित जलवायु परिवर्तन के घटकों का विश्लेषण किया है। अगर हम जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन के लिए अगले पांच वर्षों की हमारी संसाधन संबंधी जरूरतों को देखें, तो हमारे पास लगभग 80 प्रतिशत धन उपलब्ध है।

योजना जमीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए

आशीष तिवारी
सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार ने कार्य योजना (स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज) तैयार की है। इस कार्य योजना के कार्यान्वन में सरकार का यह विजन था कि इस बार जमीनी स्तर पर लागू करने योग्य योजना (इंप्लीमेंटेबल प्लान) होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए एक सुगम एवं सरलता से लागू किए जाने योग्य कार्य योजना बनाना आसान नहीं होता है क्योंकि इस विषय के विविध आयाम हैं और विभिन्न विभागों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है।

इसलिए संपूर्ण रणनीति पर पहले विभिन्न विभागों के साथ गहन विचार विमर्श करने के बाद ही उसे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया गया और फिर सबके विचारों को शामिल करते हुए एक ऐसी रचनात्मक योजना तैयार की गयी है जो वास्तव में सहजता के साथ लागू की जा सकने वाली है।

हमेशा यह कहा जाता है कि सरकारी विभाग एक साथ काम नहीं करते हैं लेकिन अब जो विजनरी लीडरशिप विकसित हुआ है वह पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रही है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं का सहयोग और गठबंधन इसलिए हो पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हमें मजबूत नेतृत्व मिला है। इसी तरह मुख्य सचिव जी ने जलवायु कार्य योजना की हर बारीकियों को गौर से देखा है।

विभागों के बीच सहयोग के अलावा, हमें जलवायु कार्य योजना को स्थानीय स्तर पर भी लागू कराने पर ध्यान देना था। बीते वर्षों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न तरीकों से दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमलोगों ने संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिला स्तर पर लागू करने योग्य कार्य योजना तैयार की जाए।

अंतर-विभागीय सहयोग और जलवायु कार्य योजना के स्थानीयकरण की हमारी दृष्टि की वजह से, आज सारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाएं हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जलवायु कार्य योजना की संकल्पना तैयार करने में हमें जर्मन विकास को-ऑपरेशन से बेहद अहम तकनीकी सहायता मिली है। उनके 'क्लाइमट ऐडैप्टेशन एंड फाइनेंस फॉर रुरल इंडिया' प्रकल्प में उत्तर प्रदेश सरकार भागीदार है।

हमें जलवायु कार्य योजना को स्थानीय स्तर पर लागू कराने पर ध्यान देना था। बीते वर्षों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न तरीकों से दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमलोगों ने संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिला स्तर पर लागू करने योग्य कार्य योजना तैयार की जाए।

जलवायु परिवर्तन पर भारत-जर्मनी सहयोग अनुकरणीय

जूली रिवीएरे
राष्ट्रीय निदेशक, जी आइ जेड

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान दुनिया कोविड-19 की महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व संकट का गवाह रही है और यह संकट अब भी जारी है। इस चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय, सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तरों पर सामूहिक गतिविधियों की जरूरत पड़ी थी। ऐसा ही एक वैश्विक संकट जलवायु परिवर्तन का भी है, जो समुदायों के लिए कहीं ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में हुई उपलब्धियों के लिए अब खतरा बन चुका है।

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सामूहिक गतिविधियों की जरूरत है। इस दिशा में 2015 में किया गया पेरिस समझौता दुनिया भर के देशों द्वारा लिए गए संकल्पों का आईना है। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए टिकाऊ और न्यूनतम कार्बन आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाना है।

इसके लिए सभी देशों ने निजी स्तर पर कार्बन देशों के स्तर पर उनके योगदानों की (नेशनल डेटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी) सीमा तय की है। इसका उद्देश्य बदलती हुई जलवायु के प्रभाव को न्यूनतम करना है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है।

जर्मनी और भारत ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताओं को एक-दूसरे से साझा किया है। मई 2022 में बर्लिन में हुए छठवें अंतरराष्ट्रीय परामर्श के अंश के रूप में इंडो-जर्मन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट साझीदारी (जीएसडीपी) नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच शानदार सहयोग को दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियां भले ही अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हों लेकिन उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर ही किया जाना होता है। ऐसे समझौतों और नीतियों पर राज्यों की कार्यनीति प्रतिक्रिया के रूप में सबसे निर्णायक होती है।

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु कार्यनीति में किया गया संशोधन स्वागत योग्य कदम है।

2

पंचायत स्तर पर वित्तीय संसाधन

आपका लगाया पेड़ आपका ही होगा, सरकार का नहीं

ममता संजीव दूबे
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश

एक भ्रांति आमतौर पर सुनने में यह आती है कि यदि हम पेड़ लगाएंगे तो वे पेड़ वन विभाग के हो जाएंगे, जबकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपके लगाए वृक्ष पर वन विभाग का अधिकार होगा। आप इस भ्रांति से बाहर निकलकर अपनी जमीन पर, अपनी कृषि भूमि पर जितनी बड़ी संख्या में हो सकता है, वृक्ष लगाइए। यदि आप अपने ही ग्राम में, अपनी ही ग्राम पंचायत में नर्सरी की स्थापना करेंगे तो लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह काफी फायदेमंद रहेगा। पंचायती राज एक्ट में ऐसी व्यवस्था भी है, ऐसे अधिकार भी हैं, और पंचायतों के पास मनरेगा के तहत वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं।

ग्राम पंचायतों में लकड़ी की फलदार प्रजातियां, जैसे देसी आम, कटहल, इमली, आंवला, बेल, बांस और सहजन इन सबको सामुदायिक भूमि पर लगाइए। कुपोषण दूर करने में सहजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अमृत वन का अर्थ प्रत्येक गांव में केवल 75 वृक्ष लगाने हैं जिसमें से पांच वृक्ष आपको बरगद, पीपल और पाकुड़ के लगाने हैं। इन वृक्षों को आप अमृत सरोवर के किनारे लगाइए, अपने खेतों में लगाइए या सामुदायिक भूमि पर लगाइए।

यदि आप अपने ही गांव में, अपने ही ग्राम पंचायत में नर्सरी की स्थापना करेंगे तो लोगों को आर्थिक लाभ भी होगा और यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी फायदेमंद रहेगा।

सौर ऊर्जा व वृक्षारोपण कम कर सकता है कार्बन

आलोक प्रेम नागर
संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

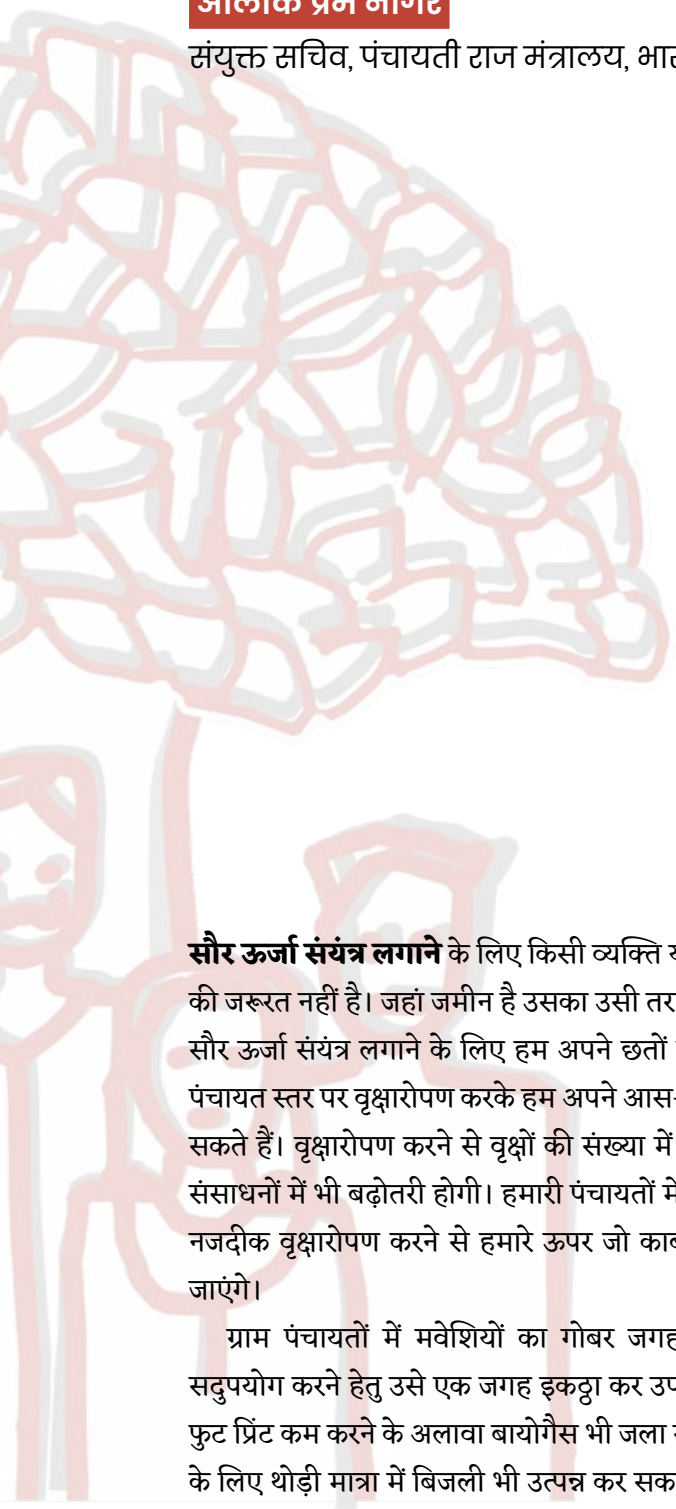

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए किसी व्यक्ति या ग्राम पंचायत को बहुत जमीन की जरूरत नहीं है। जहां जमीन है उसका उसी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए हम अपने छतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण करके हम अपने आस-पास के कार्बन को प्रभावित कर सकते हैं। वृक्षारोपण करने से वृक्षों की संख्या में तो बढ़ोतरी होगी ही, प्राकृतिक संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी। हमारी पंचायतों में जहां-जहां भी सरोवर है, उसके नजदीक वृक्षारोपण करने से हमारे ऊपर जो कार्बन का ऋण है, उससे मुक्त हो जाएंगे।

ग्राम पंचायतों में मवेशियों का गोबर जगह-जगह फैला रहता है, इसका सदुपयोग करने हेतु उसे एक जगह इकठ्ठा कर उपयोग करें जिससे कि हम कार्बन फुट प्रिंट कम करने के अलावा बायोगैस भी जला सकते हैं। इससे हम घरेलू कार्यों के लिए थोड़ी मात्रा में बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं।

पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण करके हम अपने आस-पास के कार्बन को प्रभावित कर सकते हैं। वृक्षारोपण करने से वृक्षों की संख्या में तो बढ़ोतरी होगी ही, प्राकृतिक संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी

संसाधन का बेहतर इस्तेमाल जरूरी

प्रो. अनिल कुमार गुप्ता
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली

हम ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जो बदलाव आ जाता है उससे हम अपने आप को समायोजित करते हैं ताकि हम जी सकें। हम सब अपने-अपने अनुभवों से देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो असर पड़ रहा है उससे सुखाड़ हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लू लगने लगी है या इसी तरह की और भी कई घटनाएं घट रही हैं, जिनके बारे में हमें पूर्व सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं और अचानक से काफी क्षति और नुकसान पहुंचता है।

इसके अलवा दूसरी जरूरी चीज यह जानना है कि हमारे पास संसाधन की क्या स्थिति है, चाहे वह मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन के लिए मिले फंड हों या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मुहैया करायी गयी राशि हो। हमें ग्राम पंचायत के स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम से बेहतर ढंग से निपटने के लिए संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन से सूखाड़ हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लू लगने लगी है या इसी तरह की और भी कई घटनाएं घट रही हैं, जिसके बारे में हमें पूर्व सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं और अचानक से काफी क्षति और नुकसान पहुंचता है।

आपदा जोखिम से निपटने के लिए पैसे की कमी नहीं है

रणवीर प्रसाद
राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश

हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किन क्षेत्रों में अतिवृष्टि, सूखे की आशंका है और लू इत्यादि के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? इसकी अगर हमें जानकारी होगी कि कहां-कहां से ऐसी आशंका है तो उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना सकते हैं।

आपदा जोखिम में कटौती और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहला फंड राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) का है। विभाग के पास समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। इस उपलब्ध राज्य स्तरीय कोष के तहत सभी विभाग कार्ययोजना बनाकर इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इस हेतु सभी विभागों और पंचायतों को राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से निर्देश प्रेषित किया जा चुका है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किन क्षेत्रों में अतिवृष्टि, सूखे की आशंका है और लू इत्यादि के लिए क्या प्रयास करना चाहिए?

इसकी अगर हमें जानकारी होगी कि कहां से ऐसी आशंका है तो उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना सकते हैं। आपदा जोखिम का खतरा कम करना बहुत जरूरी है। हम लोग पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर इस विषय पर संयुक्त रणनीति बनाकर कार्य करेंगे ताकि भविष्य में आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन का सामना प्रभावी रूप से कर सकें।

पंचायतों के पास पैसे तो हैं

अनुज कुमार झा
निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश सरकार

जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामले में जो भी कार्य हो रहे हैं या होने हैं, उसमें निश्चित रूप से वन एवं पर्यावरण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इसकी सबसे अधिक जरूरत पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में है। इसका पहला कारण यह है कि मौजूदा परिदृश्य में, जहां काम करना हैं, चाहे वनरोपण हो या फिर कोई और काम हो, वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा है और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रही है। जब भी जलवायु परिवर्तन होता है उसका दुष्परिणाम हमारी खेती में, अन्न उत्पादन में, लोगों के स्वास्थ्य पर एवं पेयजल पर काफी गहरा असर डाल रहा है। अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि इससे ग्रामीण इलाके बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और इसलिए पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे कम करने का जितना भी प्रयास है, जो भी संभावना है, उसमें निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग का, की और हमारे ग्राम प्रधानों की महती भूमिका है।

अगर इसके लिए वित्तीय संसाधन की बात करें तो अनेक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो इस काम के लिए पैसे दे सकती है। अगर हम भारत सरकार या राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जल संचयन, हानिकारक ठोस एवं तरल अवशिष्ट एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के हेतु राशि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रही है। जलवायु परिवर्तन से ग्रामीण इलाके बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है और इसलिए पंचायती राज विभाग का, पंचायतों की और हमारे ग्राम प्रधानों की महती भूमिका है।

जैव विविधता संरक्षण से लाभ ही लाभ

बी प्रभाकर
सदस्य सचिव, यू पी बायोडायवर्सिटी बोर्ड

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को अधिकार देकर स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जीव जंतुओं को अपने गांव में संरक्षित करने का पूरा दायित्व जैव विविधता संरक्षण आयोग को देना है। वर्ष 2017 में जैव विविधता संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसमें कई समितियां जुड़ी होती हैं, जिसमें मुख्य रुप से जैव विविधता प्रबंधन, नियोजन एवं विकास समिति है। पर्यावरण से जुड़े जो भी मसले हैं, जैव विविधता है, जंगल है, जानवर है, हमारी-आपकी खेती है, आपकी बागवानी है, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के अधीन एक जैव विविधता रिसर्च बोर्ड का गठन किया है। इसके द्वारा पंचायत में उपलब्ध सभी जैव विविधता के संसाधनों को समावेशित किया गया है। जैव विविधता रिसर्च में आपके गांव में मौजूद सभी प्रजातियों का उल्लेख होगा और कोई संस्था आपकी जैव विविधता को, आपके अनुभव को अगर व्यवसायिक हित के लिए इस्तेमाल करता है तो वह अपने लाभ का एक हिस्सा आपको देंगे। अब जिला स्तर पर योजना बनायी जाएगी और फिर सभी जिलों की योजनाओं को मिलाकर हम राज्य स्तरीय एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जिसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।

कोई संस्था आपके गांव में मौजूद जैव विविधता को, आपके अनुभव को अगर व्यवसायिक हित के लिए इस्तेमाल करता है तो वह अपने लाभ का एक हिस्सा आपको देंगे।

कीटनाशक ने भूगर्भ जल को भी नष्ट किया है

गोपाल उपाध्याय
सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ

आज खेती की पद्धति पूरी तरह रासायनिक हो गयी है जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका पहला बड़ा दुष्परिणाम भूगर्भ जल का गिरता स्तर है। रासायनिक खेती में पानी बहुत अधिक लगता है। डीएपी और यूरिया के खेतों में डालने से वह मिट्टी में जम जाता है, जिससे पानी की रिचार्जिंग की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। देसी केंचुआ पानी को रिचार्ज करता है लेकिन रासायनिक के प्रयोग से वह मर जाता है। फलस्वरूप रिचार्जिंग की प्रक्रिया रुक जाती है। रासायनिक खेती के कारण पिछले 50 वर्षों से लगातार भूगर्भ जल घटा है। रासानिक खेती का दूसरा असर यह हुआ है कि हमारी जैव विविधता को नुकसान हुआ है और बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं। कीटनाशक से सिर्फ वही कीट नहीं मरता है बल्कि उसके साथ बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं।

रासायनिक खेती ने जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इससे मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, हवा जहरीली हो गई है, पानी जहरीला हो गया है, जिसे हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इसमें किसानों को रासायनिक खाद खरीदकर खेत में नहीं डालना है, न डीएपी खरीदना है, न यूरिया खरीदनी है और न कीटनाशक खरीदना है। हमें बस एक देसी गाय पालनी है और देसी गाय के गोबर और गोमूत्र संग्रह करने की व्यवस्था करनी है। देसी गाय के गोबर, गोमूत्र से बीज अमृत बनाकर और जीवामृत बनाकर पानी के साथ खेत में लगाना है। हमारे आस पास ऐसी कई वनस्पतियाँ हैं जिनको हम बेकार कहते हैं, घास-फूस मानते हैं, उनसे खाद बनता है और इस पूरी पद्धति में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। हमें इसे ही अपनाना है।

रासायनिक खेती में पानी बहुत अधिक लगता है। डीएपी और यूरिया के खेतों में डालने से वह मिट्टी में जम जाता है, जिससे पानी की रिचार्जिंग की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। देसी केंचुआ पानी को रिचार्ज करता है लेकिन रासायनिक के प्रयोग से वह मर जाता है। फलस्वरूप रिचार्जिंग की प्रक्रिया रुक जाती है।

शासन, विकास व पंचायत का सामंजस्य जरूरी है

शिराज वजीह
गोरखपुर एनवायरोंमेंटल एक्शन ग्रुप, उत्तर प्रदेश

पूरा उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से ग्रसित है, पर खासतौर पर 22 जिले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में तीन क्षेत्रों को देखें- बुंदेलखंड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और तराई का मैदान, तो वहां या तो बाढ़ है या फिर सुखाड़ है। कहीं न कहीं, कोई आपदा या किसी समस्या या फिर किसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हम सब ग्रसित हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि ग्राम पंचायत की जो विकास योजनाएं हैं, उससे हम कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में या उनसे निपटने में बेहतर तरीके से अपना सामंजस्य बैठा सकते हैं?

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन, आपदा और विकास, तीनों एक दूसरे से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन होगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, उससे हमारा विकास, हमारी बनाई हुई इमारत, हमारे घर व मकान, वे सभी निश्चित रुप से प्रभावित होंगे। पर अगर हम ऐसा विकास करें कि जो जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने में सक्षम हो, तो मुझे लगता है कि तीनों के आपसी सामंजस्य से जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपट सकते हैं। और ये तीनों हैं- गांव स्तर के ऊपर शासन और विकास आता है और सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। हमें इस तरह से विकास करने की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने में हमें सुरक्षित रखे। हम जानते हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायत आपदा योजना है उसके पांच घटक हैं। इन पांचों घटक में बहुत सुंदरता से, बहुत सही तरीके से जलवायु परिवर्तन और आपदा को समाहित किया जा सकता है। अगर हम जलवायु परिवर्तन और आपदा को लेकर हर ग्राम पंचायत के साथ मिलकर योजना बनाते हैं तो एक तो बात निश्चित है कि हम अपने संसाधनों को जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने में सही तरह से इस्तेमाल करके बच सकते हैं।

ऐसा विकास करें कि जो जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने में सक्षम हो, तो मुझे लगता है कि तीनों के आपसी सामंजस्य से जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपट सकते हैं।

हमें निरंतरता वाली जिंदगी अपनानी होगी

रुचिका ड्राल

उप सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार

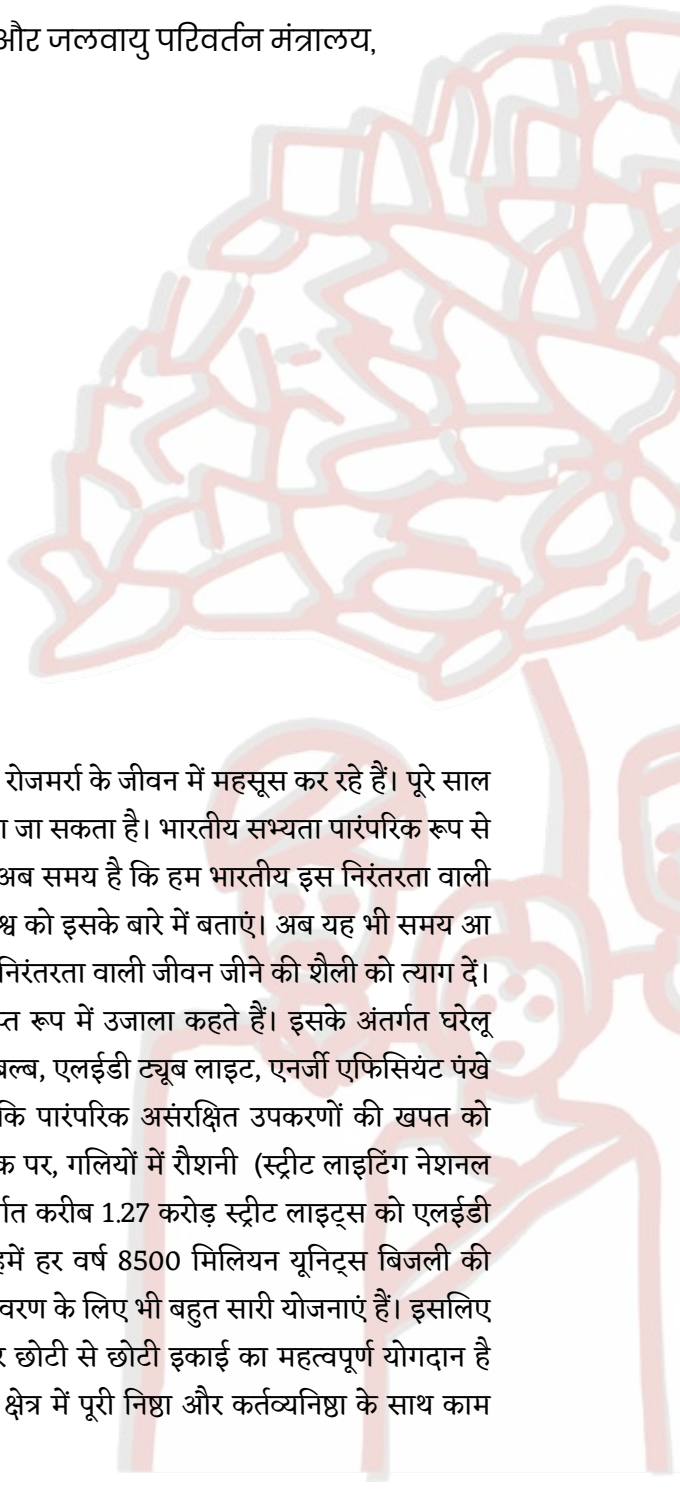

भारतीय सभ्यता पारंपरिक रूप से निरंतरता पर आधारित है और अब समय आ गया है कि हम भारतीय इस निरंतरता वाली जिंदगी का संरक्षण करें तथा विश्व को इसके बारे में बताएं।

जलवायु परिवर्तन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस कर रहे हैं। पूरे साल मौसम में बदलाव महसूस किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता पारंपरिक रूप से निरंतरता पर आधारित है और अब समय है कि हम भारतीय इस निरंतरता वाली जिंदगी का संरक्षण करें तथा विश्व को इसके बारे में बताएं। अब यह भी समय आ गया है कि हम खर्चीली और अनिरंतरता वाली जीवन जीने की शैली को त्याग दें। एक योजना है जिसे हम संक्षिप्त रूप में उजाला कहते हैं। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट, एनर्जी एफिसियंट पंखे दिए जाने का प्रावधान है जो कि पारंपरिक असंरक्षित उपकरणों की खपत को कम करता है। इसके बाद सड़क पर, गलियों में रौशनी (स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम) योजना है जिसके अंतर्गत करीब 1.27 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में बदला गया है और इससे हमें हर वर्ष 8500 मिलियन यूनिट्स बिजली की बचत हुई है। इसी तरह वन आवरण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसलिए इस मुहिम में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इकाई का महत्वपूर्ण योगदान है और हमें आगे भी अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करते रहना है।

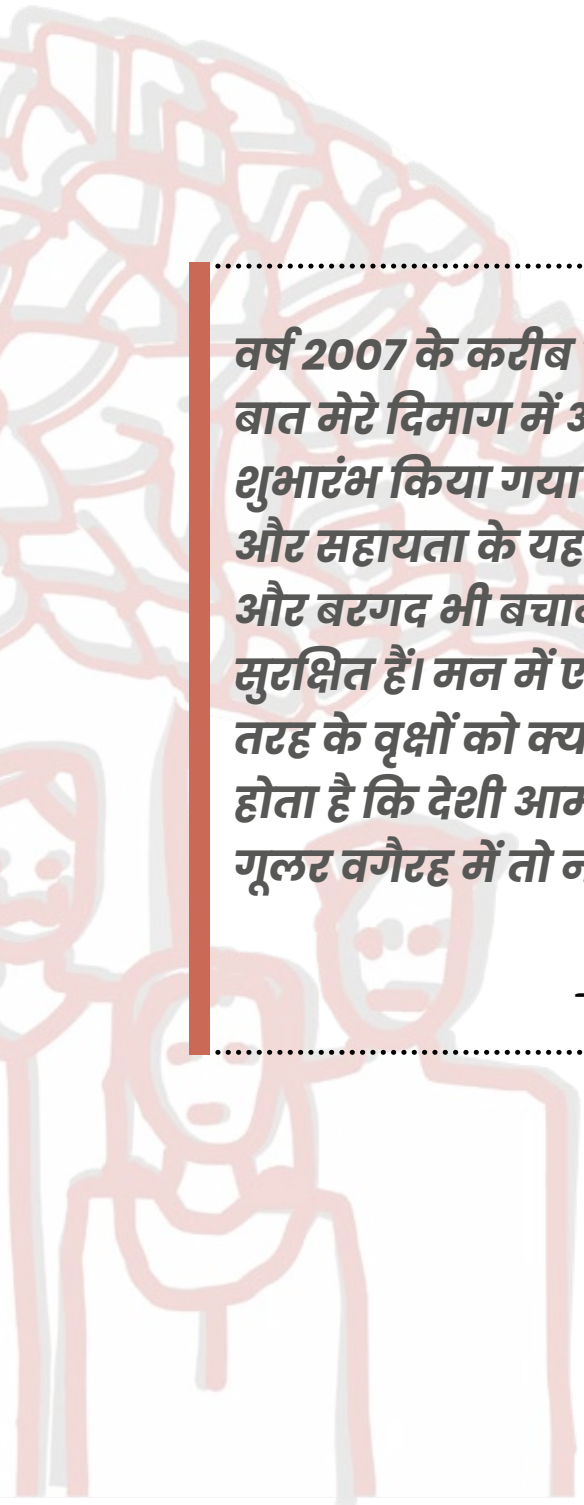

वर्ष 2007 के करीब जन सहभागिता से वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात मेरे दिमाग में आई थी और यहां लखनऊ के पास ही उसका शुभारंभ किया गया था। योजना यह थी कि बिना सरकारी संसाधन और सहायता के यह काम हमें करना है। इसमें पीपल बचाना है और बरगद भी बचाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी पौधे सुरक्षित हैं। मन में एक पीड़ा थी कि देशी आम, महुआ, खिरनी, इस तरह के वृक्षों को क्या हम कभी बचा सकते हैं? आज बहुत संतोष होता है कि देशी आम, महुआ जैसे पेड़ अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं। गूलर वगैरह में तो नीचे से ऊपर तक फल आ रहे हैं।

— महेन्द्र प्रताप सिंह (भारतीय वन सेवा अधिकारी - सेवानिवृत)

फसल बीमा किसानों के लिए मददगार साबित होगा

कोरिंन डिमेंज
स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट

हमें युवाओं को शामिल करके बीमा क्षेत्र में अधिक भरोसा जगाने की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों और देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है।

स्विट्जरलैंड और भारत साठ वर्षों से भी अधिक समय से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी और बीमा के क्षेत्र में गहरा जुड़ाव है। सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ने से फसलों के नुकसान का खतरा बढ़ गया है। हम सूखा, बाढ़ और कीटों की लगातार बढ़ती समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए, मैं भारत को फसल बीमा को तवज्जो देने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देती हूं। स्विस सरकार ने राइट्स नाम की एक परियोजना के जरिए मिलकर काम किया है। अगर मुझे मिली कोई दो सीखों को चुनना हो, तो पहला सबक बीमा का है। इस योजना में प्रशिक्षित युवक - युवतियों को यह पता है कि बीमा के तहत राहत लेने के लिए दावा कैसे करना है। इन युवाओं ने किसानों से बात करने और उन्हें समझाने में मदद की है। इन युवाओं ने वर्ष 2020-2021 में 20 गांवों में 10 हजार से अधिक किसानों को शामिल करने में मदद की है।

दूसरी सीख रिमोट सेंसिंग तकनीक से जुड़ी है। यह कोविड से प्रभावित हाल के समय में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पूरी दुनिया के साथ – साथ इस देश में भी सब कुछ बंद था। इसलिए बीमा कंपनियां नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लेने नहीं आ सकीं। इसलिए हमने बीमा कंपनियों को इमेजरी (उपग्रह छवियों) के साथ फोन पर लिए गए प्रभावित किसानों के साक्षात्कार भेजे। कुछ किसानों को इस नवीन तकनीक के कारण भुगतान मिला और आगे भी यह नुकसान का जायजा लेने की प्रक्रिया को किफायती बनाने में काम आएगा। हमें युवाओं को शामिल करके बीमा क्षेत्र में अधिक भरोसा जगाने की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों और देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड भारत के साथ काम करना जारी रखेगा और अपने अनुभवों एवं विशेषज्ञता को साझा करता रहेगा।

3

पंचायत-प्राइवेट पार्टनरशिप

पर्यावरण में सुधार लाएं, अपने समाज को बचाएं

बृजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

पर्यावरण में हमें पहले सुधार लाना है, हमें वृक्ष लगाने हैं। हमें गंदगी बिल्कुल ही नहीं फैलानी है। पर्यावरण की दृष्टि से जो जरा भी प्रतिकूल है, उसका उपयोग कम से कम करना है।

संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत (UPCOP2022) का आयोजन किया है। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश के जो 58 हजार 189 ग्राम पंचायतें हैं, वो सीधे जुड़ी हुई हैं। मनुष्य ने प्रगति को अपने हिसाब से ढालने के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की है। घर के बाहर का तापमान भले ही 48 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, लेकिन उसको अपने शरीर के अनुकूल बनाने के लिये हम वातानुकूलित संयत्रों का उपयोग करने लगे हैं। इससे मौसम तो हमारे अनुकूल हो गया लेकिन हमने पर्यावरण को खतरनाक स्थिति में ला दिया। इसी प्रकार जैसे-जैसे हम निर्माण कार्य करते जाते हैं, उसी रफ्तार में पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता जा रहा है।

प्रतिदिन हजारों नयी गाड़ियां हमारे समाज में आ रही है, और मुझे लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम सब को लगातार चेतावनी दे रही है, हमें नयी-नयी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सब ये तय कर लें कि अपने पर्यावरण में पहले सुधार लाएं, हमें वृक्ष लगाने हैं, हमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी है, जो भी पर्यावरण की दृष्टि के जरा भी प्रतिकूल है उसका उपयोग कम करना है तो हम अपने प्रदेश को, अपने समाज को बचा सकते हैं। और यदि उत्तर प्रदेश में आपने कर लिया तो इसका मतलब हिंदुस्तान के पांचवे हिस्से में आपने कर लिया। और जो कार्यक्रम हिंदुस्तान के पांचवे हिस्से में सफल हो गया, वो पूरे देश में सफल माना जायेगा, ऐसा मेरा मानना है।

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के लिए किसानों के साथ काम

शुभेंदु दास
प्रोग्राम मैनेजर, आईटीसी लिमिटेड

आईटीसी उत्तर प्रदेश में काफी समय से काम कर रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम यहां कई तरह के काम करते हैं। उनमें से एक है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का मतलब जितने भी पेड़-पौधे हैं गांव में, हर गांव कार्बन पॉजिटिव हो जाये, हर गांव में पीने और कृषि के लिए पानी हो जाय, सही से पानी का निकास भी हो जाए और हर गांव कूड़ा-कचड़ा से मुक्त हो जाए तो इसका अर्थ हुआ कि गांव में जैव विविधता है। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने में और गांव को स्मार्ट बनाने में भी योगदान करते हैं। क्योंकि अगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो किसान भी कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमने यह ध्यान रखा है कि किसान को कुछ फायदा भी मिले। इसी क्रम में हमने गोरखपुर, सहारनपुर और गोंडा में शुरू किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने हेतु शहरी विकास विभाग के साथ समझौता किया है और इसी के तहत हम 40 नगर निगम में काम कर रहे हैं।

हम पंचायत में भी काम करते हैं कि वहां के कूड़े का प्रबंधन वहीं हो जाये। उसको एक जगह इकठ्ठा करके उसका शोधन (प्रोसेसिंग) करते हैं। तीसरा काम पानी के संरक्षण का भी है। पानी के सारे प्राकृतिक स्रोत, जल निकास प्रणाली खत्म हो रहे हैं। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर और गोरखपुर में तालाबों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के लिए परस्पर भागीदारी से किसानों के साथ मिलकर हम काम करते हैं।

हम किसानों की आमदनी बढ़ाने में और गांव को थोड़ा स्मार्ट बनाने में भी योगदान करते हैं। क्योंकि अगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो किसान भी कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमने यह ध्यान रखा है कि किसान को कुछ फायदा भी मिले, उसका रिस्क भी कम हो और पर्यावरण भी बच जाए।

तालाबों में जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए

रामवीर तंवर
पौंड मैन ऑफ इंडिया

तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने में प्राथमिक भूमिका स्थानीय प्रशासन की है। पर्यावरण को बचाने के कार्य को स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा।

गांवों में पहले जो तालाब हुआ करते थे, वे आज कचरा घर बन गए हैं। बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जिनमें किसानों की गाय - भैसें कभी नहाया करती थीं, लेकिन आज उनमें फंसकर मर जाती हैं। छात्र जीवन से ही ऐसे तालाबों को पुनर्जीवित करना शुरू किया था और आज हम करीब 8 राज्यों में ऐसे कई तालाबों को पुनर्जीवित कर चुके हैं और कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट मॉडल (पीपीपी) मॉडल में तालाबों या पर्यावरण के लिये अच्छा काम किया जा सकता है। अभी हरदोई में हमारा काम चल रहा है। या तो तालाबों में कचरा भरा है या फिर लोगों ने अतिक्रमण करके वहां घर बना लिया है। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने में प्राथमिक भूमिका स्थानीय प्रशासन की है। पर्यावरण को बचाने के कार्य को स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा। दिल्ली के गाजीपुर में जहां कूड़े का पहाड़ है, उसके सामने चालीस साल पहले तालाब हुआ करता था। बाद में उसको अच्छा पार्क बना दिया, ओपन जिम, टाइल्स वगैरह। लेकिन अभी जब सरकार को यह महसूस हुआ कि जल संरक्षण जरूरी है, तो फिर से उस पार्क को तालाब बनाने का काम किया गया है।

तालाबों में जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहां प्रवासी पक्षियों को आकर्षित किया जा सकता है। हमने नगर निगम और सीएसआर के साथ मिलकर गाजियाबाद जनपद में दस हजार पेड़ लगाने की शुरुआत की है।

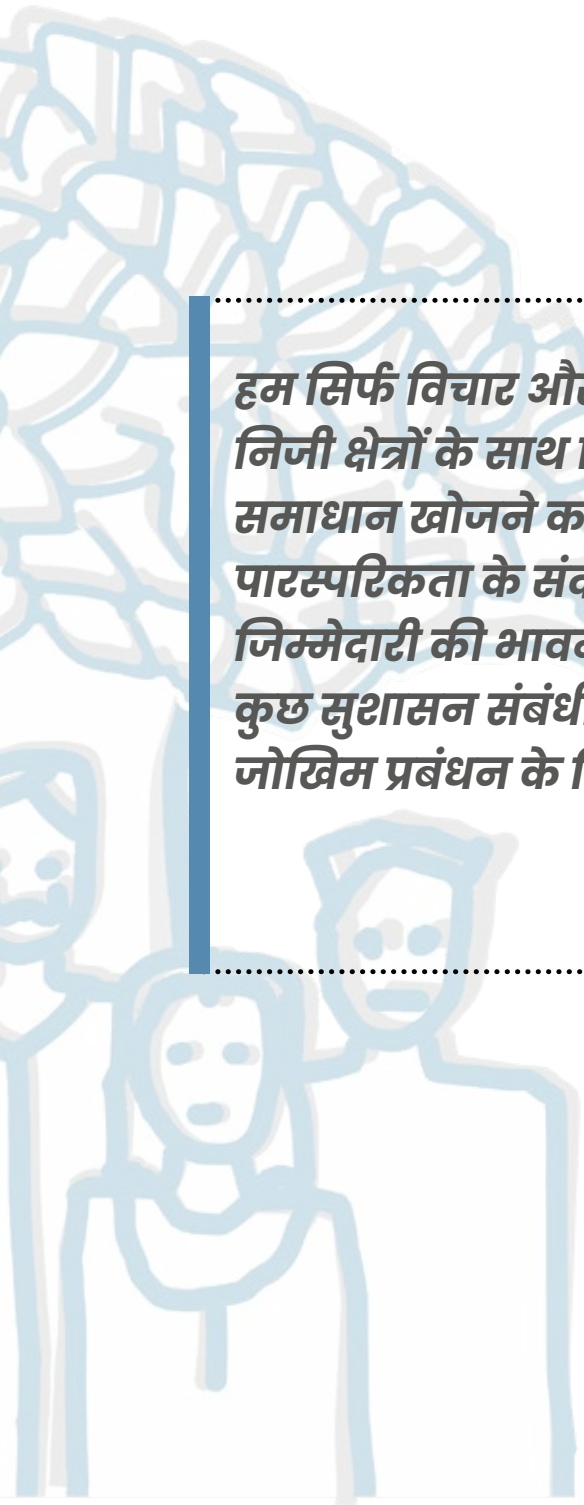

हम सिर्फ विचार और ज्ञान बांटने का काम नहीं करते हैं बल्कि निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर अधिक से अधिक व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हमें एकजुटता और पारस्परिकता के संदर्भ में उनकी विशेषज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का उपयोग करने की जरूरत है। साथ ही हमें कुछ सुशासन संबंधी प्रक्रियाओं, अच्छी बीमा पॉलिसियों के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए भी कदम उठाने होंगे।

— योकन रामके (प्रोजेक्ट लीडर, जीआईजेड)

तकनीकी क्षमता निर्माण पर जोड़ देना जरूरी

शांतनु बसु
प्रोजेक्ट मैनेजर, एचसीएल फाउंडेशन

आज से तकरीबन 30 साल पहले जून 1992 में ब्राजील के रियो डि जनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही अहम मुद्दा था और भारत ने उस समय भी उस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया था। एचसीएल फाउंडेशन की पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं में मुख्य जोर जैव विविधता पर है। चाहे वह वृक्षारोपण का काम हो, चाहे वह तालाब पुनरुद्धार का काम हो, चाहे अन्य दूसरा जो भी पर्यावरण से जुड़ा काम हो, उनमें हम जैव विविधता को कैसे बेहतर कर सकते हैं यह अहम होता है। पेड़ लगाकर हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं पाते बल्कि छाया, फल और फूल भी पाते हैं। तालाब सिर्फ पानी का एक स्रोत भर नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल एक जीवनशैली का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में हम 284 ग्राम पंचायत के साथ काम कर रहे हैं। हम जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, स्वच्छता पर काम कर रहे हैं, आजीविका पर काम कर रहे हैं और इन सभी कामों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को इस तरह से बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका समवेत लाभ एक ही जगह पर निकल सके। हम 60 से अधिक इकोसिस्टम सुविधाओं को विकसित कर रहे है। आगे हम पर्यावरण के क्षेत्र में आ रही ढेर सारी आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर काम कर रहे है तथा इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे।

पेड़ लगाकर हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं पाते बल्कि छांव, फल और फूल भी पाते हैं। तालाब सिर्फ पानी का एक स्रोत भर नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल एक जीवनशैली का प्रतीक हैं।

हमारे पंचायत एक दिन कार्बन न्यूट्रल बनेंगे

अनिर्बान घोष
चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, महिंद्रा ग्रुप

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पंचायत एक दिन कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। आप पूछ सकते हैं, ये विश्वास आता कहां से है? आप जानते हैं कि फैक्टरियों को कार्बन न्यूट्रल करना बड़ा मुश्किल काम है। हम जानते हैं कि प्रदूषण का अधिकांश हिस्सा फैक्टरियों से आता है। महिंद्रा ग्रुप ने फैक्ट्रियों को कार्बन न्यूट्रल करने का काम शुरू किया। यह काम करने के दौरान हासिल हुए तजुर्बे से मुझे विश्वास होता है कि हमारे पंचायत, हमारे गांव कार्बन न्यूट्रल बन सकते हैं। तकरीबन 68 गांवों में हमने एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम (integrated watershed program) शुरु किया है। पांच साल के इस एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ने गांवों को कार्बन न्यूट्रल बनने की ओर मोड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सारे गांव और पंचायत कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, तो सबका कितना भला हो सकता है। महिंद्रा ग्रुप ने पिछले पंद्रह वर्षों में लगभग दो करोड़ पेड़-पौधे लगाए हैं, उनमें से लगभग 90 फीसदी पेड़ सही–सलामत हैं और उसका पूरा श्रेय उन आदिवासी परिवारों को जाता है जिनकी जमीन पर ये पेड़ लगे हुए हैं। हमने एक दूसरा प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत साल में कम से कम 10 लाख महिलाओं को एक आजीविका मिल सके। यह काम हमें पूरे देश और प्रदेश के सारे गांवों में करना पड़ेगा।

आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सारे गांव और पंचायत कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, तो सबका कितना भला हो सकता है। हमने दो करोड़ पेड़-पौधे लगाए हैं, उनमें से लगभग 90 फीसदी पेड़ सही–सलामत हैं और उसका पूरा श्रेय उन आदिवासी परिवारों को जाता है जिनकी जमीन पर ये पेड़ लगे हुए हैं।

हमलोगों ने गोरखपुर में तीन गांव गोद ले रखे हैं। उसमें से एक गांव का हमलोगों ने संपूर्ण विकास किया है। सड़क, नाली, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की। लेकिन इन कार्यों का स्थायी फायदा तभी होगा जब ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति बने और गांव वाले उसमें हिस्सा लें। गांव-समाज को भी उसमें थोड़ी सी आर्थिक भागीदारी निभानी चाहिए-हो सकता है कि वह सिर्फ 5 फीसदी ही हो। क्योंकि हमारे अनुभव बताते हैं कि जब तक समाज आर्थिक रूप से उसमें अंशदान नहीं करेगा, उसकी महत्ता उन्हें समझ में नहीं आएगी।

— मयंक अग्रवाल (सीईओ, वीर इस्पात, गोरखपुर)

प्रकृति से हासिल चीजों को वापस प्रकृति को लौटाएं

ए. वी. सिंह
चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, ललितपुर पावर जनरेशन

ललितपुर में स्थापित दो हजार मेगावाट के पावर प्लांट में रोजाना सवा लाख घनमीटर पानी का इस्तेमाल होता है। यह पानी किसी नदी या बांध से नहीं लिया जाता है। हमने सिंचाई विभाग के साथ काम किया। उनके द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग के बाद जो पानी बचता है, उससे हम अपना पावर प्लांट चलाते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक नहीं, दो बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। पूरे देश में इस तरह का वाटर पॉजिटिव प्लांट का यह अनोखा उदाहरण होगा। हम जो प्रकृति से लेते हैं, उसे वापस प्रकृति को लौटा देते हैं। हमारी एक विलेज एडवाइजरी कमिटी है। हमने करीब पांच गांवों को गोद लेकर उन्हें मॉडर्न विलेज बनाया है। उनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, नल के जरिए उनके दरवाजे तक जल, शौचालय और बायोगैस प्लांट मुहैया करायी है।

ललितपुर में हमने पांच साल में करीब साढ़े चार लाख पौधे लगाए हैं क्योंकि यह एक सूखाग्रस्त इलाका है। हमलोगों ने कई कुएं और कई बोरवेल खुदवाए, कई चेकडैम बनवाए, पानी का संचय किया। नतीजतन जलस्तर ऊपर उठकर करीब 50 फीट तक आ गया है। आज तीन - तीन फसलें हमारे ग्रामीण भाई लेते हैं। खेत के बीच में फलदार वृक्ष लगाने का काम भी हमारा है, जिससे किसानों की आमदनी बहुत अच्छी होती है।

कुएं और कई बोरवेल खुदवाए, कई चेकडैम बनवाए, पानी का संचय किया। नतीजतन जलस्तर ऊपर उठकर करीब 50 फीट तक आ गया है। आज तीन – तीन फसलें हमारे ग्रामीण भाई लेते हैं।

जल संचयन के तरीकों को अपनाना ही होगा

सुनील कुमार
प्लांट हेड, हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड

हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड भले ही सीमेंट बनाता है, लेकिन हमने वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अथक प्रयत्न किए हैं। हम अपने दायित्व के तहत 9 गांवों की देखरेख करते हैं। छोटे से गांव मडोहा को एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश की गयी है। वहां पर पर्यावरण और जल संचयन से जुड़ा काम शुरू किया गया है। वहीं पर एक सक्षमता विकास केंद्र स्थापित करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया है और स्थानीय लोगों को जैविक खेती और जल संचयन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। अमृत सरोवर और अमृत तालाब की परिकल्पना के अनुरूप अपने प्लांट के चारों तरफ हरियाली विकसित की है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सीमेंट बनाना ही नहीं है, बल्कि इंसान से जुड़े जीव- जंतुओं और पेड़– पौधों की सेवा करना और उनको बचाकर रखना भी है। उसी के तहत गांवों में पीने की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काफी संख्या में हैंडपम्प लगवाए हैं और वहां के तालाबों की साफ-सफाई भी करवायी गयी है। साथ ही, नजदीक में स्थित बरवा सागर की सफाई भी करवायी गयी है।

कंपनी ने सामाजिक दायित्व के तहत वृक्षारोपण भी करवाया है इसलिए हमारा ग्रीन बेल्ट कवर 40 फीसदी से ज्यादा है। इसके अंदर ऐसे पेड़ हैं जो कार्बन को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा अपने प्लांट में 30 फीसदी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करते हैं। हमने एक डक पार्क भी बनवाया है जिसमें बहुत सारे बत्तख और मोर संरक्षित हैं।

हमने लोगों को जैविक खेती और जल संचयन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। अमृत सरोवर और अमृत तालाब की परिकल्पना के अनुरूप हमने अपने प्लांट के चारों तरफ हरियाली विकसित की है।

"ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर हमने पिछले दो सालों में दो लाख पौधे लगाए हैं और आने वाले दिनों में 40 हजार पौधे और लगाए जाएंगे।"

— संतोष सीएस (यूनिट हेड, नेवेली लिग्नाइट घाटमपुर)

"हमलोग पॉलीमर और तरल हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस क्रम में, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हैं। अक्षय ऊर्जा को संरक्षित करना भी हमारा लक्ष्य है। हमारे पास जो क्षेत्र है उसका कम से कम 35 फीसदी हिस्सा ग्रीन बेल्ट है जहां हमने 2 लाख तीस हजार के अधिक पेड़ लगाए हैं। पिछले साल भी हमने करीब 75 हजार पेड़ मियावाकी के जंगल में लगाए थे। हम आसपास के गांव-पंचायतों के साथ मिलकर काम करते हैं। बस मेरा यह कहना है कि पर्यावरण एक यज्ञ है जिसमें आहुति होती है, पूर्णाहूति नहीं होती। पर्यावरण अनवरत चलते रहनेवाली प्रक्रिया है, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है।"

— अजय त्रिपाठी (कार्यकारी निदेशक, गेल)

बारिश के पानी के संचयन की दिशा में प्रयास जरूरी

राजेंद्र सांखे
यूनिट हेड, इंडो रामा इंडिया प्रा. लिमिटेड

पेड़-पौधे लगाने से गांवों को दोहरा फायदा होता है और पर्यावरण की क्षति कम होती है। बारिश के पानी के संचयन की दिशा में हमारा प्रयास रहा है। पुराने तालाबों का पुनर्निर्माण करके बारिश के पानी के संचयन का काम भी हम करते हैं.

इंडो रामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने नजदीकी ग्राम पंचायतों के साथ बहुत अलग - अलग कार्यक्रम चलते है। गांवों के पुराने तालाब गंदगी से भर गए थे या मिट्टी से भर गए हैं, हम इनके पुनर्निर्माण का कार्य चलाते हैं। इसके साथ ही नजदीक के गांवों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का काम भी हो रहा है। हम नए तालाब बनाकर गांव वालों की मदद करते हैं। हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़- पौधे लगाते हैं जिससे दोहरा फायदा होता है और पर्यावरण की क्षति कम होती है। बारिश के पानी के संचयन की दिशा में हमारा प्रयास रहा है। पुराने तालाबों के पुनर्निर्माण करके बारिश के पानी के संचयन का काम भी हम करते हैं। हम गांव वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से मछली पालन के लिए तालाब भी बनाते हैं। आंवला, आम और मलीहाबादी आम के पौधे हम गांवों में वितरित करते हैं और लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हम पंचायत स्तर पर मशरूम की खेती को बढ़ावा देते हैं। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गांव वालों के बीच सोलर प्लांट का वितरण भी किया है।

4

वैश्विक समस्या, स्थानीय साधन

साझीदारी एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गयी है

कीर्तिमान अवस्थी
वरिष्ठ नीति सलाहकार, जी.आई.जेड. इंडिया

हम विभिन्न क्षेत्रों खासकर जल, जमीन, वायु और पेड़ को बचाने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक अलग पैमाना तैयार करने की बात कर रहे हैं। वह पैमाना राज्य स्तर पर भी हो सकता है, जिला स्तर पर भी हो सकता है या फिर ग्राम स्तर पर भी हो सकता है। हमारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जलवायु परिवर्तन हमारे विकास लक्ष्यों को प्रभावित कर रहा है और अंततः सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रभावित कर रहा है। सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए एक समावेशी साझेदारी की जरूरत होती है। साझेदारी अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि जरूरत बन गयी है। उसे सिर्फ स्थानीय स्तर पर लागू करने से नहीं होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर सफल साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन स्थानीय चुनौती नहीं बल्कि वैश्विक चुनौती है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, हर तरह की साझेदारी किए जाने की जरूरत है। साझेदारी का यह विकल्प कुछ मूल्यों और प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए जो स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली हो और उसी स्तर पर आपदा जोखिम को कम करने की दिशा में काम कर रहा हो।

इन क्षेत्रों में साझेदारी न केवल शासन-प्रशासन के स्तर पर हो बल्कि यह भागीदारी एक दूसरे विभागों के साथ भी हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर काम करना विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कृषि क्षेत्र है। मजबूत साझेदारी वास्तव में उपयोग किए जाने वाले मजबूत वित्तपोषण संसाधनों को अनलॉक कर सकती है, जो इसके कार्यान्वयन के लिए जरूरी है।

एक मजबूत साझेदारी से वित्तपोषक संसाधनों के दरवाजे खुल जाते हैं जो इसे लागू करने में बहुत मददगार साबित होता है। वास्तव में एक मजबूत साझेदारी से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तकनीकी क्षमताओं की संभावनाओं के बारे में भी बहुत जानकारी मिल सकती है। हमें वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण और अन्य समस्याओं के बारे में भी गंभीरतापूर्वक बात करने की जरूरत है। एक मजबूत साझेदारी शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ जरूरी संसाधनो को जुटाने की क्षमता को भी विकसित कर सकती है।

हमारे पास द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, निजी निवेश फंडों, सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक पैनल समृद्ध है। हर व्यक्ति की शासन के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग भूमिका होती है, जिसमें नियम बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक और स्थानीय स्तर पर जलवायु गतिविधि को समर्थन देने के लिए वित्त जुटाना शामिल है।

सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए एक समावेशी साझेदारी की जरूरत होती है। साझेदारी अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि जरूरत बन गयी है। उसे सिर्फ स्थानीय स्तर पर लागू करने से नहीं होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर सफल साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है।

जितनी भी बड़ी समस्याएं होती हैं, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर की हों, अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों, उसका समाधान एक संस्था या एक सरकार नहीं कर सकती है। पर्यावरण भी उसी तरह की समस्या है। यह किसी एक क्षेत्र को, एक राज्य को या किसी एक देश को ही प्रभावित नहीं करती है बल्कि इसका असर वैश्विक होता है। इसलिए इसमें सभी की साझेदारी और सभी का परस्पर सहयोग होना बहुत जरूरी है।

— मनोज कुमार सिंह (कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार)

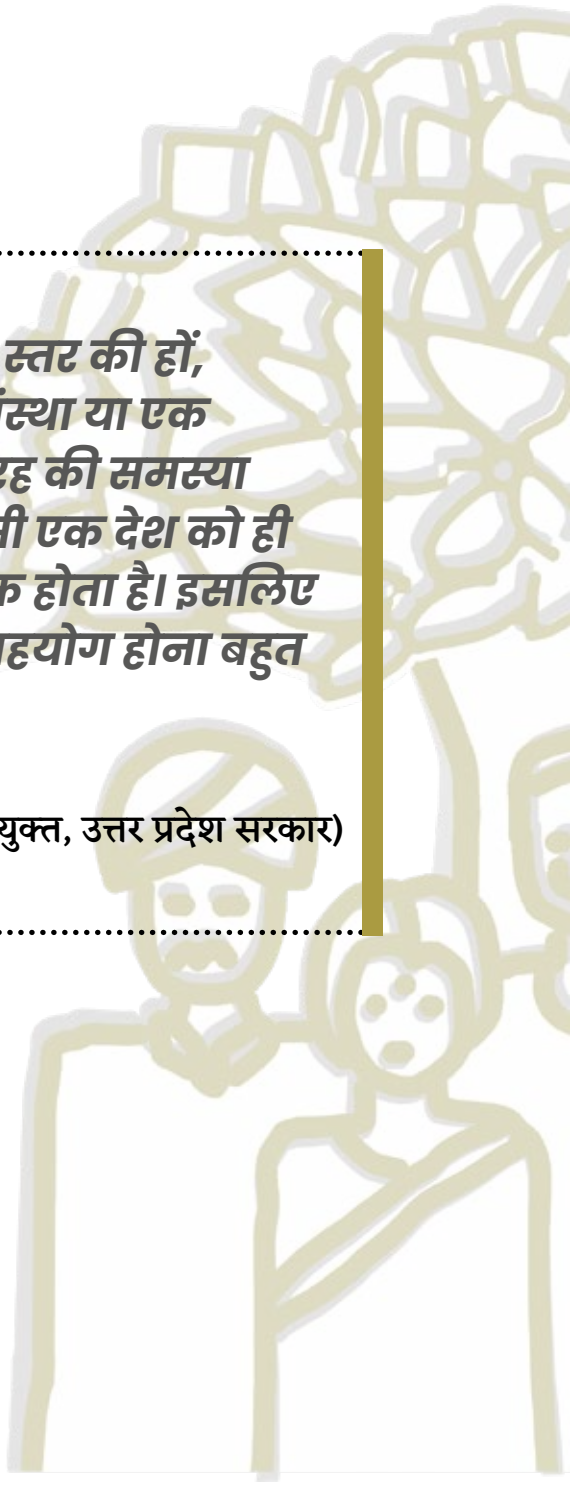

सतत विकास के लिए भारत-जर्मनी साझेदारी

मोहम्मद अल-ख़वाद
जीआईजेड

वर्ष 2022 में 2 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और हमारे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की मुलाकात हुई थी। कुछ वर्षों से वे आपस में मिलते रहे हैं लेकिन उन्होंने पहली बार हरित और सतत विकास पर सरकारी साझेदारी करने का एक समझौता किया है। जर्मनी के सभी मंत्रालयों ने भारत सरकार के साथ मिल-बैठकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आनेवाले वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन किसी के मन में यह सवाल उठ सकता है कि हम साथ कैसे काम करते हैं? हम भारत में जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी (जीआईजेड) के साथ मिलकर काम करेंगे। चूंकि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है इसलिए वे हमारे काम की प्रगति की निगरानी करेंगे। और इसलिए हम जो हासिल करना चाहते हैं, हम उसे हासिल करके रहेंगे।

जर्मनी के सभी मंत्रालयों ने भारत सरकार के साथ मिल-बैठकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आनेवाले वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं?

जलवायु और सतत विकास पर वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्य बनाए गए हैं उसे स्थानीय स्तर पर ले जाकर उसे पूरा करना चाहते हैं। जीआईजेड जर्मनी सरकार के स्वामित्व वाली एक इकाई है जो दुनिया भर में 120 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं, हम संयुक्त राष्ट्र को सलाह देते हैं, सरकारी स्तर, उप-राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर जमीन से जुड़कर काम करते हैं। हम निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम दुनिया के कुछ गिने-चुने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक हैं जहां के लोग कोविड के दौरान भी दूसरे देशों में जाते रहे हैं। हमारे देश के लोग यहां आते हैं, रहते हैं और यहीं काम करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। वे ये लोग हैं जो अपने परिवार के साथ जर्मनी से जुड़े हुए हैं और इसमें योगदान देते हैं। हम मुख्य रुप से ऊर्जा, शहरी क्षेत्र और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में तो काम करते हैं। हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर पिछले 60 वर्षों से काम कर रहे हैं।

पर्यावरण से जुड़ा हर मसला वैश्विक है

कैरिन शेपर्डशन
विश्व बैंक

जलवायु समाधान वैश्विक और स्थानीय कार्यों के बीच के संबंधों पर फोकस होता है। मैं आपके संज्ञान में वायु प्रदूषण का मुद्दा लाना चाहती हूं जिसे आम तौर पर स्थानीय मुद्दा समझ लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इसे हर दिन अपने दैनिक जीवन में भी महसूस करते हैं। वायु प्रदूषण के सभी आयाम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय होते हैं। और मैं इसमें अब पंचायत और ग्राम स्तर के कार्यों की आवश्यकता भी देख पा रही हूं।

वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे हिसाब से भारत में एक अति महात्वाकांक्षी स्वच्छ वायु कार्य योजना तत्काल शुरु करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा करके भारत 23 फीसदी कार्बन डाई ऑक्साइड, 81 फीसदी काला कार्बन और 25 फीसदी मीथेन के उत्सर्जन को कम कर सकता है।

वायु प्रदूषण के बारे में किए गए अधिकांश शोध और उसे रोकने की योजना शहरों तक सीमित रखी जाती है। जबकि जरूरत इस बात की है कि वायु प्रदूषण को पूरे क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण के बारे में किए गए अधिकांश शोध और उसे रोकने की योजना शहरों तक सीमित रखी जाती है। जबकि जरूरत इस बात की है कि वायु प्रदूषण को पूरे क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और जब हम इंडो-गंगा वाटरशेड को देखते हैं, तो हम बहुत सी ऐसी चीजें भी देखते हैं जो केवल कानपुर, या उत्तर प्रदेश, या भारत तक ही सीमित नहीं हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के विशाल ग्रामीण परिदृश्य को देखें, तो हम कृषि और घरेलू कचरे के संदर्भ में बहुत सारे जैव ईंधन को जलते-जलाते हुए पाते हैं। ये वायु गुणवत्ता के स्थानीय मुद्दे हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फिर अमोनिया एक बड़ी समस्या है, जो रासायनिक उर्वरकों से जुड़ी हुई है और कृषि प्रणालियों से जुड़ी हुई है।हम वैकल्पिक जैविक उर्वरकों, गैर रासायनिक कीटनाशकों और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों के बारे में गंभीर चर्चा सुनते हैं। ये सभी मुद्दे सीधे पंचायत के अधीन आते हैं और इसलिए पंचायतों के साथ मिलकर, साझेदारी में काम करके महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं।

विश्व बैंक इस दिशा में राज्य सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है और इसमें जो सफलता मिलती है या जो सीख मिलती है, उसका दूसरे पड़ोसी राज्यों या फिर दूसरे देशों में व्यापक असर डाल सकता है। हम जानते हैं कि इंडो-गंगा एयरशेड की वायु गुणवत्ता को किसी एक राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण अर्थनीति से निकलेगा जलवायु संकट का हल

जोनाथन डेमेंगे
निदेशक, सहयोगिता, एस डी सी इंडिया

पर्यावरण के मसले पर जागरूकता आज जितनी है पहले कभी नहीं थी, लेकिन बुरी बात यह है कि हमने कदम उठाने में देर कर दी है। जलवायु संकट हमारे सामने मुंह उठाए खड़ा है और इससे होने वाले बदलाव पलटे नहीं जा सकते।

जलवायु संकट के सर्वाधिक बुरे प्रभावों को टालने का अभी वक्त हमारे हाथ में है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब मिल कर साथ काम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक मसलों पर समन्वित गतिविधियों की जरूरत होती है चूंकि सबका भविष्य एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक है लेकिन इसका असर स्थानीय और विविध किस्म का होता है। इसीलिए इसके समाधान भी स्थानीय ही होंगे, भले प्रतिक्रिया की क्षमताएं अलग-अलग हों।

जब संसाधन मुट्ठी भर हों तो उनके अधिकतम इस्तेमाल के गुर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से सीखने चाहिए। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पल्ली गांव के सरपंच की कहानी सामने आई थी। यह पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है।

स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ऐसे मसलों पर अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। भारत में यह एजेंसी 60 साल से सक्रिय है। इसके कुछ हस्तक्षेपों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति-निर्माण को सक्षम बनाया है। ईको-निवास संहिता, जिग-जैग प्रौद्योगिकी कुछ राज्यों में अनिवार्य कर दी गई हैं। ऐसी पहलें दूसरे देशों तक भी जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर किया गया अच्छा काम दुनिया भर में अनुकरणीय होता है।

वैश्विक मसलों पर समन्वित गतिविधियों की जरूरत होती है चूंकि सबका भविष्य एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक है लेकिन इसका असर स्थानीय और विविध किस्म का होता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ पेरिस में शुरू हुआ, ग्लासगो में हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, आज वह गांव स्तर पर पहुंच गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे हमलोगों ने हासिल किया है। जलवायु परिवर्तन विभाग, वन विभाग या फिर कोई भी सरकारी विभाग हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह ग्रामीण हितधारकों से बात की जाय और उनके साथ साझेदारी वाला दृष्टिकोण विकसित किया जाए।

— **मनोज सिंह (अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)**

5

क्लाइमेट हीरो

पद्मश्री श्यामसुन्दर पालीवाल

समाज सेवक • पीपलांतरी, राजस्थान

"वर्ष 2006 में अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में मैंने 111 पौधे लगाना तय किया। एक ऐसा गांव जहाँ बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं, हर बेटी के नाम कुछ पैसा इकट्ठा करके सुकन्या समृद्धि योजना में डाला जाता है। ऐसा गांव जहाँ बेटी के नाम पर पेड़ लगाए जाएं, पेड़ सरकारी जमीनों में लगे, जल संरक्षण का काम हो। फिर उसी से एक नारा बना - "बेटी पानी पेड़ गोचर"! पूरे विश्व में वह गांव अब पीपलांतरी के नाम से जाना जाता है।

मेरा सुझाव है कि हर ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति के नाम पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकारी जमीन पर एक पौधा लगाकर यह संदेश दें कि गांव का कोई भी व्यक्ति मुफ्त का ऑक्सीजन नहीं ले रहा है।"

प्रेमशीला

किसान • जंगल कौड़िया, गोरखपुर

"हमारा गाँव बाढ़ क्षेत्र में है। हमारे पास दो बीघा जमी है और वो भी पिछली बार बाढ़ में बालू रेत आ गया था। हमारे ऊपर मौसम का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके खातिर हम अपनी खेती की लागत कम कर दी। तो उसके उपाय के लिए हम जैविक खाद बनाकर जैसे कम्पोस्ट, नाडब और सी पी पी खाद बनाकर अपने खेत में डाल दिया। उससे अच्छी बचत हुई और अच्छी पैदावार भी मिली। और कई बार गर्मी के महीने में बहुत ज्यादा कीट के प्रकोप के खातिर हम देशी कीटनाशक बनाके डाल दी और उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिला। अभी अपने गाँव में दो समूह हैं, उन लोगों को देशी खाद, देशी कीटनाशक बनाके दिया। इससे उन लोगों के खेत में भी अच्छी फसल मिली और अच्छी बचत भी हुई।"

रणधीर

पंचायत प्रधान • पल्लीग्राम, जम्मू

हमने ग्रामसभा की पहली बैठक में संकल्प लिया कि अपने पंचायत को कार्बन रेसिडेंटल और न्यूट्रल पंचायत बनाएंगे और घरों में उत्पन्न होने वाले कार्बन को कम करेंगे। इसके लिए हमने ऑर्गानिक खेती को बढ़ावा दिया। खेतों की जरूरत के हिसाब से पानी को रिसाइकिल किया। पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया। हमने अपने गांव में 100 स्ट्रीट लाइट भी लगाया। इसके अलावा 10 बायोगैस प्लांट, 50 सोलर पंप लगाकर हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचायत की तरफ से हमने 6 ई-रिक्शा लेकर चलाना शुरू किया।

अब अनुकूल मौसम पर आधारित फसलें लगा रहे हैं। साथ ही, हमने अपने पंचायत में मिट्टी हेल्थ कार्ड और रिसोर्स सेन्टर भी स्थापित किया है।

पद्मश्री सेतपाल सिंह

प्राकृतिक किसान • सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

हमने कृषि विविधीकरण को, फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाया है। गाय आधारित, गौ संरक्षित खेती। गोमूत्र से, गोबर से उन तमाम विधाओं को अपनाया है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो, हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़े। हमारे भोजन में जहर न हो बल्कि उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी हो। पहले हम गाय पालते थे। हमारे घर में जब गाय बछड़ा देती थी तो उस पर जश्न मनता था। आज वो बछड़ा हमारे लिए सिरदर्द बन गया है, उसे हम खुला छोड़ देते हैं। जिस प्रकार केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों के ऊपर अनुदान दे रही है, उसी तरह यदि उस बैलों के ऊपर अगर सरकार 50 फीसदी अनुदान दे दे तो हमारे किसान, पशुपालक बछड़ों और देसी गाय को जंगल में छोड़ने की बजाय बाँधकर पालेगा।

बलदेव ठाकुर

धमून पंचायत • हिमाचल प्रदेश

“पहले हमारे पंचायत में पर्यावरण के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। 2016 से पहली बार अपने पंचायत के काम में पर्यावरण से जुड़े कामों को शामिल किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस काम में गांव की महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत में महिला मंडल पौधे लगाने का काम करती हैं। अपने खेतों में महिलाओं ने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है। जो पुरानी फसलें विलुप्त हो गयी थीं उसे दुबारा से उगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि लाल चावल-जिसका बाजार में काफी कीमत है। इसके साथ ही विलुप्त हो रहे फसलों के बीजों का संरक्षण भी चालू हो गया है। हम पंचायत स्तर पर स्थानीय जैव विविधता का भी संरक्षण करते हैं। पंचायती राज में चुने हुए सभी सदस्यों को इस काम को बढ़ाकर आगे ले जाना है।”

6

'जलवायु संवेदी' ग्राम पंचायत

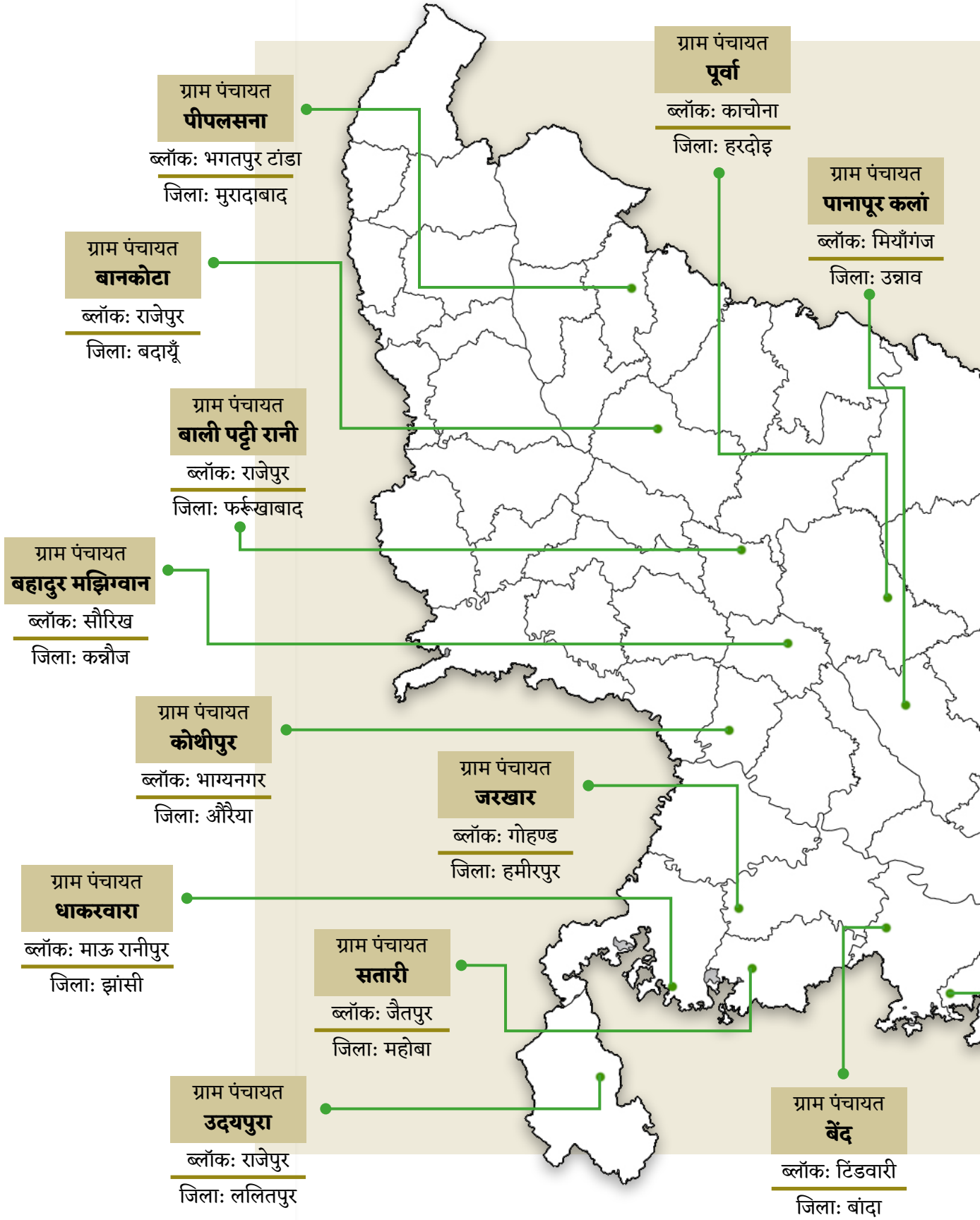
ग्राम पंचायत
पीपलसना
ब्लॉक: भगतपुर टांडा
जिला: मुरादाबाद
ग्राम पंचायत
पूर्वा
ब्लॉक: काचोना
जिला: हरदोइ
ग्राम पंचायत
पानापूर कलां
ब्लॉक: मियाँगंज
जिला: उन्नाव
ग्राम पंचायत
बानकोटा
ब्लॉक: राजेपुर
जिला: बदायूँ
ग्राम पंचायत
बाली पट्टी रानी
ब्लॉक: राजेपुर
जिला: फर्रूखाबाद
ग्राम पंचायत
बहादुर मझिग्वान
ब्लॉक: सौरिख
जिला: कन्नौज
ग्राम पंचायत
कोथीपुर
ब्लॉक: भाग्यनगर
जिला: औरैया
ग्राम पंचायत
जरखार
ब्लॉक: गोहण्ड
जिला: हमीरपुर
ग्राम पंचायत
धाकरवारा
ब्लॉक: माऊ रानीपुर
जिला: झांसी
ग्राम पंचायत
सतारी
ब्लॉक: जैतपुर
जिला: महोबा
ग्राम पंचायत
उदयपुरा
ब्लॉक: राजेपुर
जिला: ललितपुर
ग्राम पंचायत
बेंद
ब्लॉक: टिंडवारी
जिला: बांदा

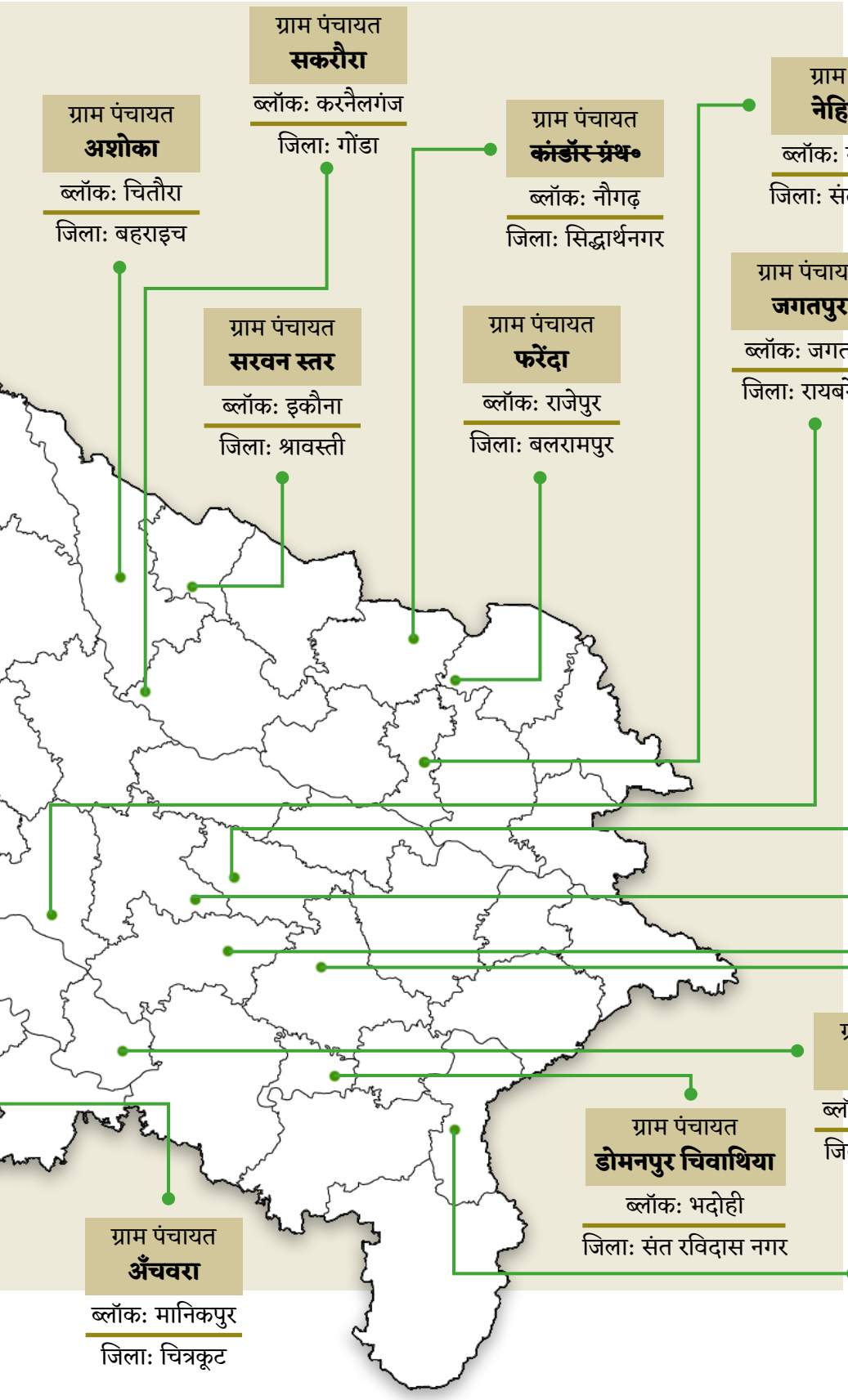

ग्राम पंचायत
सकरौरा
ब्लॉक: करनैलगंज
जिला: गोंडा
ग्राम पंचायत
अशोका
ब्लॉक: चितौरा
जिला: बहराइच
ग्राम पंचायत
कांडॅर ग्रंथ॰
ब्लॉक: नौगढ़
जिला: सिद्धार्थनगर
ग्राम पंचायत
नेहिया खुर्द
ब्लॉक: खलीलाबाद
जिला: संत कबीर नगर
ग्राम पंचायत
जगतपुर
ब्लॉक: जगतपुर
जिला: रायबरेली
ग्राम पंचायत
सरवन स्तर
ब्लॉक: इकौना
जिला: श्रावस्ती
ग्राम पंचायत
फरेंदा
ब्लॉक: राजेपुर
जिला: बलरामपुर
ग्राम पंचायत
दियारा
ब्लॉक: मोतिगरपुर
जिला: सुल्तानपुर
ग्राम पंचायत
नृभानपुर
ब्लॉक: भादर
जिला: अमेठी
ग्राम पंचायत
यादव पट्टी
ब्लॉक: स्विवल
जिला: प्रतापगढ़
ग्राम पंचायत
बारा
ब्लॉक: कौशाम्बी
जिला: कौशाम्बी
ग्राम पंचायत
आशोपुर
ब्लॉक: बदलापुर
जिला: जौनपुर
ग्राम पंचायत
डोमनपुर चिवाथिया
ब्लॉक: भदोही
जिला: संत रविदास नगर
ग्राम पंचायत
अँचवरा
ब्लॉक: मानिकपुर
जिला: चित्रकूट
ग्राम पंचायत
मवैया
ब्लॉक: चकिया
जिला: चन्दौली